मध्यप्रदेश बाल नीति का प्रस्तावित प्रारूप

यह दस्तावेज विकास संवाद और साथी संस्थाओं ने **चाइल्ड राइट्स एण्ड यू** के सहयोग से तैयार किया है। इसका मकसद प्रदेश में समग्र बाल नीति को तैयार कर शीघ्र लागू करवाना है, ताकि बाल अधिकार सुनिश्चित किए जा सकें।

उद्देश्यिका

हम, मध्यप्रदेश की सरकार और व्यापक समाज के लोग
सभी बच्चों को एक सुरक्षित, समतामूलक,
गरिमामय, स्वस्थ तथा खुशहाल बचपन जीने और सक्षम एवं
मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पित नागरिक बनने के लिए
प्रोत्साहित करने वाला वातावरण प्रदान करने हेतु
यह नीति प्रतिपादित करते हैं;

मध्यप्रदेश में सभी बच्चों के जीवन के संरक्षण और विकास करने
के लिए
पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के अधिकार को सुनिश्चित करने वाली
जवाबदेह और पारदर्शी नीतिगत और वैधानिक पहल की
जायेगी;

असुरक्षा, बीमारी, अल्पपोषण, अपराध, उत्पीडन, भेदभाव,
अन्याय, अवसाद और उपेक्षा से
बचपन की मुक्ति इस नीति का लक्ष्य होगी;

मध्यप्रदेश सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और
अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की खुशहाली और अधिकतम
उन्नति के लिए
प्रतिबद्धता के साथ पहल करेगी;

मध्यप्रदेश की सरकार
सभी बच्चों के उत्तरजीविता, सहभागिता, विकास और संरक्षण के अधिकारों की
सुरक्षा के लिए आर्थिक संसाधनों के पर्याप्त आवंटन को सुव्यवस्थित रखेगी और यह
सुनिश्चित करेगी कि संसाधनों का बच्चों की बेहतरी के लिए ही उपयोग हो;

मध्यप्रदेश की सरकार
बच्चों से जुडे हर संस्थान को बाल-हितैषी बनाएगी और
अन्तर्विभागीय समन्वय की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करेगी;

बच्चों को हर किस्म की हिंसा, कट्टरता, साम्प्रदायिकता,
जातिगत, लैंगिक और वर्गभेद से
सुरक्षित रखते हुए,
उन्हें भी समतामूलक समाज की स्थापना के लिए
प्रेरित किया जाएगा;

स्कूलों, परिवार और समाज के भीतर बच्चों को
एक सम्पूर्ण नागरिक के रूप में स्वीकार करने की प्रवृत्ति विकसित करना और
सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक विकास की प्रक्रियाओं में उनकी सहभागिता के लिए
स्थान निर्मित करना
मध्यप्रदेश सरकार का ध्येय होगा;

मध्यप्रदेश सरकार चाहती है कि बच्चों का न्याय, अहिंसा,
सत्य, स्वतंत्रता और बंधुता में विश्वास स्थापित हो;

मध्यप्रदेश में ऐसी वैज्ञानिक-सामाजिक सोच और व्यवस्था विकसित की जायेगी,
ताकि बच्चों को स्वयं अपने जीवन के विकास के लिए
अवसरों की स्वतंत्रता, पहुँच और मार्गदर्शन प्राप्त हो सके;

* * *

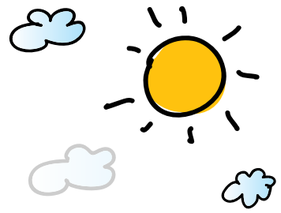

आमुख

बच्चों के अधिकारों को समग्र रूप से सुनिश्चित कराने के लिए जरूरी है कि एक बाल नीति बने और उसका अक्षरश: पालन हो. अभी दिक्कत यह है कि बाल अधिकारों के लिए योजनाएं हैं, लेकिन वह कई खांचों में बनी हुई हैं, किसी एक समस्या को दूर करने के लिए एक नीति है, तो किसी दूसरी समस्या के लिए दूसरी. इसका असर यह है कि बाल अधिकार महज खानापूर्ति का विषय हो गए हैं, उनके लिए समग्र रूप से समाज और सरकार की ओर से कोई मजबूत पहल नजर नहीं आती है.

इस समस्या को देखते हुए मप्र में लम्बे समय से कार्य कर रहे स्वैच्छिक संस्थान “विकास संवाद” और मध्यप्रदेश की साथी संस्थाओं ने पिछले दो सालों में कई तरह की कोशिशें की हैं. इसकी एक पहली कड़ी में हम बच्चों की आवाज के रूप में एक अध्ययन सामने ला चुके हैं, जिसमें तकरीबन तीन हजार बच्चों ने यह बताया था कि वे अपने आसपास को किस रूप में देखते हैं.

इसके बाद विकास संवाद ने बच्चों की ओर से गत वर्ष हुए विधान सभा के चुनावों के समय राजनीतिक दलों के लिए एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया था, जिसके तहत प्रदेश के बच्चों ने मांग की थी कि वे अपने चुनावी घोषणा पत्र में बच्चों के विषयों को प्रमुखता से शामिल करें. इसका असर हुआ भी और सभी दलों ने अपने घोषणा पत्र में बच्चों से संबंधित मांगों को स्वीकार किया. चुनावों में एक प्रमुख दल “कांग्रेस” ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि वह प्रदेश में एक समग्र बाल नीति बनाकर उसे लागू करेंगे.

नई सरकार के गठन को दस माह पूर्ण हो चुके हैं, और अब सरकार की यह महती जिम्मेदारी है कि वह अपने दिए गए वचन को निभाते हुए प्रदेश के बच्चों के लिए एक बाल नीति तैयार कर क्रियान्वित करे ताकि प्रदेश के बच्चों का कल्याण हो सके और वे अपने मूल अधिकारों से वंचित न रहकर अपने विकास के लिए एक स्वस्थ माहौल प्रदेश में पायें. इस नीति के प्रमुखत: तीन भाग हैं -

- मौजूदा समस्याएं
- उसको दूर करने के वर्तमान उपाय और उनकी स्थिति
- बाल नीति के महत्वपूर्ण बिंदु

मध्य प्रदेश राज्य बाल नीति बनाने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई गई है:-

- “बच्चों की आवाज प्रक्रिया” में शामिल नेटवर्क संस्थाओं से बाल नीति से

संबंधित बिंदुओं पर सुझाव आमंत्रित कर उन्हें नीति में समावेशित किया गया,

- द्वितीयक आंकडों का संकलन और उनमें से बच्चों से सम्बन्धित बिंदुओं को निकाला गया और उन पर विचार किया गया; और
- देश के अन्य राज्यों की बाल नीतियों का संकलन कर विस्तृत अध्ययन किया गया और यह प्रारूप तैयार किया.

मध्य प्रदेश की बाल नीति को मोटे तौर पर चार प्रमुख बाल अधिकारों के संदर्भ में विकसित किया गया -

- जीवन का अधिकार
- संरक्षण का अधिकार
- विकास का अधिकार
- सहभागिता का अधिकार

इन अधिकारों को मोटे तौर पर इन बिंदुओं के साथ देखा गया जो नीति बनाने में सहायक सिद्ध हुए -

- बच्चों के लिए तंत्र या व्यवस्था क्या है ?
- परिवार और समाज के अंदर की भी व्यवस्था क्या है ?
- बच्चों के साथ काम करने की ढांचागत जरूरतें क्या हैं और उनकी प्रतिपूर्ति कैसी और कितनी है?
- विभिन्न शासकीय योजनाओं में बच्चों संबंधी योजनाओं के लिए बजट संबंधी प्रावधान क्या हैं, उनकी स्थिति क्या और कैसी है और कहां पर और क्या जरूरत है?
- योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन स्तर पर गुणवत्ता के क्या सवाल हैं?

इन सब बिन्दुओं के आधार पर एक प्रस्तावित बाल नीति " मध्यप्रदेश बाल नीति 2019" तैयार की गई है. इस नीति को बनाने में मध्य प्रदेश के विभिन्न संस्थान, विकास संवाद एवं शासन के विभिन्न विभागों ने सहयोग दिया है, जिसके लिए शासन सबका आभार प्रकट करता है. शासन यह आशा करता है कि यह नीति व्यापक सुझावों और संकल्पनाओं के साथ एक मजबूत पहल बनकर उभरेगी और प्रदेश में बच्चों की स्थिति प्रभावी रूप से सुधरेगी.

बच्चों के अधिकारों के मायने

बच्चे वे व्यक्ति हैं जो अठारह वर्ष से कम आयु के हैं -

मध्यप्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों कई शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थाएं कार्यरत हैं जो विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत, महिला सशक्तिकरण आदि के कामों में जुटी हैं. राज्य शासन इन सभी के कामों को महत्वपूर्ण मानते हुए अपने तंत्र के साथ तालमेल से काम करता है. विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये इन संस्थाओं और राज्य सरकार की यह कोशिश है कि समाज और व्यवस्था में बच्चों के अधिकारों की रक्षा हो, उन्हें एक सम्पूर्ण मानवीय इकाई माना जाए.

पिछले तीन दशकों में बच्चों के अधिकारों, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और सुरक्षा पर प्रदेश में बहुत काम भी हुए हैं और सरकारों ने कोशिशें भी की है. राज्य ने अर्थात् कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका ने प्रदेश में कानून बनाए, एहतियातन कदम उठाये, परन्तु क्रियान्वयन के स्तर पर वे परिणाम अपेक्षित रूप से नही मिल पाये जिनकी अपेक्षा की गई थी. फलस्वरूप स्थितियां कई बार बिगडीं और तंत्र उन्हें ठीक नही कर पाया.

बच्चों के अधिकारों के हनन के कुछ बुनियादी कारण होते हैं जिन्हें समाज की बडे स्तर की भागीदारी के बिना हल कर पाना संभव नहीं हो पाता है. जैसे, बाल मजदूरी के लिए कानून बना है, परन्तु गरीबी और संसाधनों के अभाव में बच्चे मजदूरी करने को बाध्य होते हैं. इसका सीधा सा अर्थ यह है कि गरीबी के निर्मूलन और संसाधनों के समान वितरण के बिना बाल श्रम पर प्रतिबन्ध लगाना जटिल है. मौजूदा परिस्थियों में यह शायद मुश्किल लगता है.

राज्य शासन कृत संकल्पित है कि बच्चों के अधिकारों पर ठोस एवं दीर्घकालीन योजना बनाकर क्रियान्वयन में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित कर सके. वर्तमान में बने हुए बाल अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए बने कानूनों का बेहतरीन उपयोग किया जा सकता है. समाज के साथ व्यवस्था भी जवाबदेहिता महसूस करके अपनी भूमिका निभा सकती है. खासकर के समाज में ऐसे तौर तरीकों के खिलाफ माहौल बनाकर कार्य करना होगा जो बच्चों के हित में नही हैं.

बच्चों का अधिकार : एक नज़रिया

बच्चों के अधिकारों को राज्य व्यापक संदर्भों में चार प्राथमिकतों के रूप में देखता हैः

1. उत्तरजीविता का अधिकार अर्थात् जीवन जीने का अधिकार, अच्छा खाना, साफ पानी, इलाज और अच्छा स्वास्थ्य रखने वाला वातावरण

2. संरक्षण का अधिकार यानी अच्छे व्यवहार को हासिल करने का, हिंसा मुक्त बचपन, बाल मजदूरी और बाल विवाह जैसे कुरीतियों से मुक्ति, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण से मुक्ति का अधिकार और अंत में भेदभाव रहित समाज में रहने का अधिकार

3. विकास का अधिकार यानी गुणवत्तापूर्ण और समानता आधारित शिक्षा, खलने और मनोरंजन का अधिकार जिसमे बच्चों को यह अधिकार हो कि वे अपने आयु वर्ग के दोस्तों से मिल सकें और समूह बनाकर रह एवं परस्पर सीख सकें

4. सहभागिता का अधिकार यानि जो मामले बच्चों के हितों से जुडे हैं उन पर निर्णय लेते समय बच्चों के विचार और भागीदारी निश्चित की जाए.

बच्चों के लिये बुनियादी सेवाएँ और ढाँचे का प्रस्तावित स्वरुप

स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के लिए राज्य का मानना है कि एक जरुरी ढांचा खड़ा करना जरुरी है जो बाल केन्द्रित हो और यह एक महत्वपूर्ण पैमाना भी होगा. स्कूल केवल इमारतों से नहीं बनते – जब तक उनमें बच्चों के रूचि की पुस्तकों वाले पुस्तकालय, खेल के मैदान, पीने का साफ पानी, शौचालय, जैसी उपयुक्त व्यवस्थाएं न हों. इसी तरह, स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में अस्पताल, चिकित्सक, दवाएं, बुनियादी जांचों की व्यवस्था तथा बच्चों के अनुकूल वातावरण होना चाहिए. बच्चों के संरक्षण के लिए बनी व्यवस्थाओं का भी माकूल होना जरुरी है.

बाल केन्द्रित नियोजन क्या है?

राज्य इस बात को महसूस करता है कि विकास और सामाजिक बदलाव की प्रत्येक नीति और व्यवहार का परिणाम अन्ततोगत्वा बच्चों पर पडता है – मसलन जंगलों की

कटाई से बच्चों के भविष्य पर और आने वाले पर्यावरण पर प्रभाव पडेगा. विकास की परियोजनाओं में अभी तक बच्चों की भागीदारी नहीं है. यहाँ तक कि पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा में केवल अठारह वर्ष से ऊपर के लोगों को हिस्सेदारी कर निर्णय में शामिल होने का हक है. बच्चों को अपनी बात कहने के लिए समाज में या व्यवस्था में कहीं कोई मंच नहीं है.

शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो मप्र में कितने ही बच्चे परीक्षाओं के बाद आत्महत्या जैसे प्रवृत्ति में लिप्त होते हैं और आत्महत्या करते हैं. यह मानसिक दबाव समाज और अंधी दौड से थोपा जा रहा है. इस कारण जरुरी है कि राज्य बच्चों की भागीदारी शिक्षा में भी बढ़ायें, उन्हें सवाल पूछने, जिज्ञासा शांत करने के लिए और अपनी बात कहने के लिए पर्याप्त मौके और मंच उपलब्ध करवाएं. यह देखा गया है कि इसके अभाव में वे शारीरिक और मानसिक शोषण के खिलाफ अपनी बात नहीं रख पातें हैं और लगातार सहते रहते हैं. राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि समाज और व्यवस्था की प्रक्रियाओं और निर्णय लेने में ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमे बच्चों को अपनी बात कहने और सुनने के पर्याप्त अवसर हों.

बच्चों को सुरक्षा की जरुरत कब होती है?

बाल विवाह, बाल मजदूरी, बच्चों को बंधुआ रखना, भीख मंगवाना, प्रताडना, लैंगिक उत्पीड़न, अकेले या अनाथ होना, बेघर होना, घर से भाग जाना, शारीरिक मानसिक दंड देना, पलायन के समय दुर्व्यवहार एवं उपेक्षा, बच्चों को खरीदना– बेचना, मारने या अंग-भंग कर क्षति पहुंचाने के प्रयास या मानसिक और शारीरिक रूप से असुविधाजनक स्थिति बनाना, बच्चों का शोषण, नशीली वस्तुओं का परिवहन और खिला कर नशा करने की आदतें डालना, इन्टरनेट से बच्चों का शोषण करना या उन्हें अश्लील सामग्री या फिल्में दिखाकर अपराध करने के लिए प्रेरित करना, आदि स्थितियों में बच्चों को मार्गदर्शन, सलाह एवं कानूनी मदद और सुरक्षा की जरूरत पडती है.

कानून तोडने वाले बच्चे कौन है?

जब कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो और वह चोरी, मारपीट, तस्करी, लैंगिक उत्पीड़न, बलात्कार, हत्या या अन्य किन्हीं ऐसे कामों में संलिप्त पाया जाता है तो भारतीय दंड विधान के अनुसार वह अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसे बच्चों को कानून तोडने वाले या विधि-विवादित बच्चे माना जाता है. इस तरह के बच्चों के लिए सुनवाई बच्चों की अदालत, जिन्हें किशोर न्यायालय कहा जाता है, में या किशोर न्याय बोर्ड में होती है. न्याय का सिद्धांत और राज्य यह मानता है कि ऐसे बच्चों को शुरू से ही आपराधिक प्रवृत्ति का या ग़ैर-सद्भावना का दोषी नहीं माना जाना चाहिए.

बच्चों के संरक्षण और देखभाल की पहली जिम्मेदारी समाज की है. जब बच्चे वहां असुरक्षित हो जाते हैं तो कानून की जरूरत पड़ती है. किसी भी गांव-बस्ती या शहर की परिस्थितियों में बच्चों की स्थिति सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है और किसी भी उतार-

चढ़ाव में सबसे ज्यादा प्रभावित और असुरक्षित बच्चे ही होते हैं. अक्सर हमें असुरक्षित स्थितियों में बच्चे ही दिखाई देते हैं. लेकिन हम इनकी क्या और कैसे मदद कर सकते हैं, इसकी जानकारी आमतौर पर लोगों को नहीं होती. होटेल में, गैरेज पर, शादियों में रोशनी उठाते, रेलवे स्टेशन पर, बाजार में मंडी में हर जगह बच्चे काम करते हुए दिखाई देते हैं. इन बच्चों और इनके परिवारों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब होती है कि वह बच्चों को काम करने के लिए न केवल मजबूर करती है, बल्कि वे इस जाल में फंसते चले जाते हैं जहां उन्हें मजदूरी करना अनिवार्य हो जाता है. गांव-शहरों में और बस्तियों में आयोजित होने वाले बड़े उत्सव, मेला, कुंभ, इज्तिमा, शिवरात्रि आदि जैसे मेलों में बच्चे मजदूरी में शामिल होते हैं और कई तरह के काम करते दिखाई देते हैं. एक ओर जहां व्यापक स्तर पर जन समुदाय श्रद्धा और उल्लास के साथ इन कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करता है, वहीं बच्चे बुरी तरह से श्रम में लगे रहते हैं.

बच्चों के हकों से जुड़े व्यापक पहलू

वर्तमान समय में सामान्य तौर पर इन बडे आयोजनों में भी कई प्रकार के तत्व सक्रिय होते हैं और वे बच्चों से भीख मांगने के काम करते हैं. वे बाल तस्करी, बाल शोषण, बाल मजदूरी, बाल उत्पीड़न जैसी समस्याओं को बढ़ाने में सहायक होते हैं. ऐसे में समाज को और समाज के जागरूक वर्ग को सजग रहने की जरूरत है ताकि इन विपरीत परिस्थितियों में बच्चों के संरक्षण के लिए वे कुछ काम कर सकें. तभी बच्चों के लिए शोषण-मुक्त समाज, गांव, और प्रदेश का सपना देखा जा सकता है.

राज्य इस बात को सुनिश्चित करेगा कि ऐसा वातावरण बनाने में राज्य की सारी एजेंसियां अपनी सजग भूमिका निभाए. बढ़ते प्रौद्योगिकी और सूचना तकनीक के संजाल के फैलाव के कारण बच्चों को लेकर स्थितियां बहुत संवेदनशील हुई हैं. बच्चों के लिए अश्लील प्रस्तुतियां बढी हैं और बच्चों को लेकर बनाई गई पोर्न फिल्मों से माहौल और खराब हुआ है. राज्य इस बात से वाकिफ़ है कि इंटरनेट ने बच्चों को कम उम्र में वयस्क कर दिया है और बच्चे भी प्रलोभन में आकर इंटरनेट का प्रयोग कर कम उम्र में ही वे सब सीख रहें है जो उन्हें नहीं सीखना चाहिए.

इसी तरह कम उम्र में विवाह, यौन शोषण, गरीबी के कारण विकास और सम्मान, जीवन के अवसरों से वंचित रह जाना भी बच्चों के अधिकार के हनन से जुड़े विषय हैं. राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चों के संरक्षण के अधिकार व्यापक रूप से देखे जाएं और उन्हें उनके हक मिलें.

मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में लगभग 42% लोगों की उम्र 18 वर्ष से कम है - यानी उनके जन्म के समय से लेकर उनके पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मानजनक विकास की पूरी प्रक्रिया समाज और राज्य को निभानी होगी.

वर्तमान स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश में 5 साल से कम उम्र के लगभग 43% बच्चे स्वास्थ्य मानकों के मुताबिक कम वजन के हैं, एक तिहाई बच्चों को पूरे टीके नहीं लग

पाते हैं, प्रति हजार जीवित बच्चों में से जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से 50 बच्चे एक साल के पहले ही दम तोड़ देते हैं, यानी ये 50% बच्चे अपना पहला जन्मदिन भी नहीं मना पाते. यह उम्र शारीरिक वृद्धि की और बदलाव की भी होती है और इसी अवस्था में मानसिक और भावनात्मक व्यक्तित्व का विकास भी होता है. वास्तव में देखें तो व्यक्ति इसी बाल्यकाल में गढा और रचा जाता है.

सतत विकास लक्ष्य (2030) और बच्चों के अधिकार

यह उल्लेखनीय है कि दुनिया के स्तर पर वर्ष 2016 से सतत विकास लक्ष्यों को मान्यता दी गई है, इन विकास लक्ष्यों की कुल संख्या 17 है. इनमें से 8 लक्ष्य बच्चों और महिलाओं की जीवन पर सीधा प्रभाव डालते हैं. समुदाय के स्तर पर बच्चों की स्थिति को सुधारे बिना वैश्विक स्तर पर विकास लक्ष्यों को हासिल नहीं किया जा सकता.

राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि सतत विकास लक्ष्यों को बच्चों के संदर्भ में देखा जाए और नीतियाँ ऐसी बनें जो कारगर हों और इन लक्ष्यों को पूर्ण करने में सहयोगी सिद्ध हों ताकि प्रदेश में बच्चों की स्थिति बेहतर हो सके.

1. लक्ष्य-1 : पूरे विश्व से हर तरह की गरीबी की समाप्ति चाहे वह किसी भी रूप में हो

   वर्ष 2030 तक हर जगह पर सभी लोगों की गरीबी को खत्म करना है. वर्तमान में इसे 1.25 डॉलर प्रतिदिन गुजारा करने वालों के संदर्भ में आंका जाता है, राष्ट्रीय परिभाषाओं के अनुरूप गरीबी के सभी आयामों के मद्देनजर सभी आयु वर्ग के पुरुष, महिलाओं और बच्चों में व्याप्त गरीबी को वर्ष 2030 तक कम से कम आधा कर लेना होगा.

2. लक्ष्य-2 : भूख की समाप्ति खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना

   वर्ष 2030 तक भूख की समाप्ति करना तथा सभी लोगों को, विशेषकर गरीब और कठिन परिस्थितियों में रह रहे लोगों को जिनमें शिशु भी शामिल हैं, की सुरक्षित, पोषक और पर्याप्त भोजन तक पहुंच पूरे वर्ष भर सुनिश्चित करना है. वर्ष 2030 तक सभी तरह का कुपोषण खत्म करना है. इस क्रम में वर्ष 2025 तक 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों में नाटापन और दुर्बलता के कुपोषण को संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत लक्ष्य को प्राप्त करना एवं किशोरी बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं और बुजुर्ग लोगों की पोषणीय आवश्यकताओं को पूरा करना है.

3. लक्ष्य-3 : सभी आयु वर्ग के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना और उनके स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना

वर्ष 2030 तक नवजात शिशुओं और 5 वर्ष के आयु से कम के बच्चों की रोकी जा सकने वाली मौतों को विराम देना होगा. सभी देश यह लक्ष्य रखेंगे कि नवजात शिशु मृत्यु दर कम से कम 12 प्रति हजार जीवित जन्म और 5 वर्ष आयु से पूर्व बाल मृत्यु दर 25 प्रति 1000 जीवित जन्म से निचले स्तर पर आ जाए.

4. लक्ष्य-4 ; भूख समावेशी और न्याय संगत और गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना तथा सभी को जीवन भर सीखने के अवसर सुलभ कराना

   वर्ष 2030 तक यह सुनिश्चित करना कि सभी बालिकाएं एवं बालक निःशुल्क, न्याय संगत तथा गुणवत्तापरक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पूरी कर सकें, ताकि उन्हें सार्थक और प्रभावी ज्ञान हासिल हो सके. वर्ष 2030 तक यह सुनिश्चित करना कि गुणवत्तायुक्त प्रारंभिक बाल्यावस्था, विकास, देखभाल तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा की पहुंच सभी बालिका और बालकों को उपलब्ध हो ताकि वे प्राथमिक शिक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकें.

5. लक्ष्य-5 ; पांच लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए साथ ही सभी महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त करना

   हर जगह पर सभी महिलाओं और बालिकाओं के साथ हर तरह का भेदभाव समाप्त करना, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध सभी प्रकार की हिंसा, मानव-तस्करी यौन तथा अन्य प्रकार के शोषण को दूर करना, सभी प्रकार के अहितकारी प्रथाएं जैसे बाल विवाह, समय पूर्व जन्म, जबरन विवाह, महिलाओं के खतने के व्यवहार को खत्म करना.

6. लक्ष्य-8 : सभी के लिए निरंतर समावेशी तथा सतत आर्थिक विकास पूर्ण उत्पादक रोजगार एवं बेहतर कार्य को बढ़ावा देना लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए साथ ही सभी महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त करना

   बेगारी, आधुनिक गुलामी एवं मानव-तस्करी को समाप्त करने के लिए तात्कालिक एवं प्रभावी उपाय करना, बाल श्रम को उसके सभी रूपों में 2025 तक पूरी तरह प्रतिबंधित और समाप्त करना, बच्चों की बाल सैनिक भर्ती को समाप्त करना

7. लक्ष्य-11 : ऐसे शहरों मानव बस्तियां बनाना जो समावेशी सुरक्षित लचीले और टिकाऊ हो

   खासतौर पर महिलाओं, बच्चों, अशक्त लोगों और वृद्ध जनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के विस्तार द्वारा वर्ष 2030 तक सभी के लिए सुरक्षित सस्ती, सुगम और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था की

पहुंच उपलब्ध कराना एवं सड़क सुरक्षा में सुधार लाना. वर्ष 2030 तक सभी के लिए विशेषतः महिलाओं, बच्चों, वृद्धों तथा अशक्त लोगों के लिए सुरक्षित, समावेशी और पहुंच योग्य हरित एवं सार्वजनिक खुले स्तरों की सार्वभौमिक पहुंच उपलब्ध कराना.

8. लक्ष्य-16 : सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण तथा समावेशी समाजों को बढ़ावा देना सभी के लिए न्याय तक पहुंच उपलब्ध कराना तथा सभी स्तरों पर कार्य कर जवाब दें और समावेशी संस्थाएं बनाना

   हर तरह की हिंसा और संबंधित मृत्यु दर में सर्वत्र भारी कमी लाना. बच्चों के प्रति दुराचार उनका शोषण, तस्करी, हिंसा और उत्पीड़न समाप्त करना. हर तरह की हिंसा और संबंधित मृत्यु दर में सर्वत्र भारी कमी लाना

बच्चों के नज़रिए से भारत का संविधान

भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था. संविधान के अनुसार देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक सार्वभौमिक राष्ट्र का है, जिसमें स्वतंत्रता, न्याय और बराबरी सभी के लिए बिना किसी भेदभाव के शामिल हैं.

संविधान का अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति के जीवन की रक्षा करता है तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी - जिसमें बच्चे भी शामिल हैं. इसी अनुच्छेद के अंतर्गत पारित किए गए कई निर्णयों में बच्चों की सुरक्षा, स्वतंत्रता तथा अधिकारों को विस्तार में बताया एवं स्थापित किया गया है. राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि संविधान के अनुच्छेद 21(ए) के अनुसार वर्ष 6 से 14 वर्ष तक राज्य के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो. इस अनुच्छेद के पालन हेतु शिक्षा के अधिकार का अधिनियम बनाया गया है, जिसका पूर्णतः पालन किया जायेगा.

अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह के खतरनाक कामों से करने से रोकने का प्रावधान है.

अनुच्छेद 39 (ई) में किसी भी व्यक्ति को ऐसे किसी काम को जबर्दस्ती करने, जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, को रोकता है.

अनुच्छेद 39 (ए) हर बच्चे के स्वास्थ्य तथा अनुकूल वातावरण में परवरिश पर जोर देता है, साथ ही बच्चों की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा की रक्षा को भी प्राथमिकता देता है और उनके शोषण का विरोध करता है. इसके साथ ही सभी बच्चों को भारत के प्रत्येक नागरिक

की तरह समानता का अधिकार, भेदभाव के विरोध में अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार प्राप्त है.

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद 15 (3) सरकार को बच्चों की सुरक्षा, देखभाल और विकास आदि के लिए कोई भी कानून बनाने का अधिकार देता है. भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के विवरण से यह स्पष्ट है कि संविधान की मंशा बच्चों के हित एवं सर्वांगीण विकास की है - जिसे चरितार्थ करना सरकार एवं समाज का दायित्व है. राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि संविधान की भावनाओं के अनुकूल और इन अनुच्छेदों के प्रकाश में बच्चों के हित से संबंधित कोई योजना या नीतिगत बात छूट ना जाये और बच्चों के समुचित विकास के लिए राज्य सभी प्रकार के प्रयास करेगा.

संयुक्त राष्ट्र का बच्चों के अधिकार पर घोषणा पत्र

भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा के सम्मेलन का 1991 का सहभागी है. इसमें बच्चों की उत्तरजीविता, संरक्षण एवं विकास के घोषणापत्र को ग्राह्य किया गया है. भारत बच्चों के अधिकारों का घोषणा पत्र “कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1992” का भी सदस्य है - इस घोषणापत्र के अनुसार समस्त हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों को बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु आवश्यक कदम उठाना अनिवार्य है. संयुक्त राष्ट्र का अधिवेशन संबंधित राष्ट्रों के लिए एक बंधनकारी अधिवेशन है. बच्चों के अधिकारों को इसमें समग्रता से संबोधित करते हुए कई प्रकार के विशिष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं. राज्य को यह ध्यान रखना होगा कि बच्चों के लिए हर कानून नए रूप में शायद नहीं बनाएं परंतु जो कानून बने हुए हैं और वर्तमान में लागू हैं उन सब में बच्चों के पक्ष और उनके हितों को देखा और समझा जाएगा.

इस अधिवेशन के मुख्य रूप से चार सिद्धांत थे –जिनमें, जीवन का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, विकास का अधिकार और भागीदारी का अधिकार था. साथ ही घोषणा पत्र में बच्चों की सुरक्षा तथा विकास एवं अधिकारों के लिए राष्ट्र द्वारा विशिष्ट कानूनों के निर्माण को भी महत्व दिया गया था. इस घोषणापत्र के हस्ताक्षर होने के नाते भारत में भी इस के परिपालन हेतु कई कानून एवं दिशानिर्देश बनाए गए हैं. राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि इन सभी को राज्य में बच्चों के हित में लागू किया जाए. बच्चों के अपराध से संबंधित कई विशिष्ट विधान और योजनाएं निम्नानुसार हैं जो वर्तमान में प्रदेश में लागू हैः

- किशोर न्याय बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015
- समेकित बाल संरक्षण योजना
- अनैतिक व्यापार कानून सूचना प्रौद्योगिकी कानून
- चाइल्ड लाइन
- बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005

- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006
- लाडो अभियान
- बाल श्रम प्रतिबंध एवं नियमन संशोधन अधिनियम 2016
- बंधुआ श्रम व्यवस्था उन्मूलन अधिनियम 1976
- भारतीय दंड संहिता 1807 और बच्चों के संरक्षण का अधिकार
- बच्चों को यौन शोषण का अधिनियम पास्को
- गर्भधारण पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994
- लाड़ली लक्ष्मी योजना
- सुरक्षित पर्यटन के लिए सुरक्षित एवं सम्मानजनक आचरण संहिता

उक्त विधाओं में बच्चों के प्रति अपराध से संबंधित सभी पहलू व्यापक रूप से शामिल हैं.

बच्चों से सम्बंधित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किये गए परामर्श पत्र निम्न लिखित हैः

- दिनांक 14.07.2010 को जारी बच्चों के अपराध से संबंधी परामर्श पत्र
- दिनांक 04.01.2012 को जारी बच्चों के प्रति विभिन्न अपराधों की रोकथाम और उनका मुकाबला करने संबंधी परामर्श पत्र
- लापता बच्चे बच्चों की तस्करी पर अंकुश लगाने तथा बच्चों का पता लगाने के लिए आवश्यक उपाय विषयक परामर्शी पत्र दिनांक 31.01.2012 और 29.10. 2012 को जारी किए गए पत्र
- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2013 से संबंधित परामर्श पत्र दिनांक 05.02.2013
- लापता बच्चों के मामले में अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज करने संबंधी माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों पर आधारित परामर्श पत्र दिनांक 25.02.2013

(ये परामर्श पत्र गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं)

स्थिति विश्लेषण

संरक्षण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के संदर्भ में मध्यप्रदेश

बाल संरक्षण- हर बच्चें के लिए सुरक्षित समाज

भारत में दुनिया के 19 प्रतिशत बच्चे रहते हैं. लगभग 44 करोड़ बच्चे 18 वर्ष की आयु से कम हैं. अब भी बच्चेक शोषण, दुर्व्यवहार और उपेक्षा जैसे जोखिमों से घिरे हुए हैं। अब बाल संरक्षण की ओर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता है.

भारत में वर्ष 2001 में बच्चों के प्रति अपराध के 10814 मामले दर्ज थे, जो वर्ष 2016 तक बढकर 106958 जो गए। यह वृद्धि 889 प्रतिशत है. इन सोलह वर्षों में देश में बच्चों के प्रति अपराध के कुल 595089 मामले दर्ज किए गए हैं मध्यप्रदेश 95324 (16%) बाल अपराध में पहले स्थान पर है.

सरकार ने बाल संरक्षण समस्या से संबंधित कई प्रमुख कदम उठाए हैं, जैसे बाल अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग की स्थापना, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 को सुधारना, बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929, समेकित बाल संरक्षण योजना और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 एवं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग बिल. परंतु अभी भी इनके अमल को लेकर कई कमियां हैं.

बालगृहों की स्थिति- पूरे राज्य में बच्चों के लिए केवल 18 बाल संप्रेषण गृह हैं, 3 विशेष घर हैं, 47 बालगृह, एवं 19 खुले आश्रय गृह हैं, जिनमें से 5 बाल गृह सरकारी हैं जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। 42 बालगृह हैं जो एनजीओ द्वारा सरकार से अनुदान लेकर चलाए जा रहे हैं. अनुदान नहीं मिलने के चलते 11 होम्स बंद हो गए हैं, अब मध्यप्रदेश में 36 बालगृह ही बचे हैं.

इसी तरह 11 खुले आश्रयगृह भी खोले गए थे जिनमें से दो सालों में 6 आश्रयगृह बंद हो गए हैं. किशोर न्याय अधिनियम 2000/2015 हर जिले में एक बाल गृह, एक संप्रेक्षण गृह और एक आश्रय गृह का प्रावधान करता है. परंतु उसके बाद अभी 18 सालों में भी यह स्थिति है कि हर जिले में बालगृह नहीं है.

भोपाल में 3 सालों में 2 बालगृह अनुदान न मिलने के कारण बंद हो गए और जो 2 चल रहे हैं वहां पर बच्चों की संख्या क्षमता से अधिक है. यही हाल बालिकागृह का है.

जेजे अधिनियम के तहत लगभग 60% बाल कल्याण समितियां अभी भी कार्यशील नहीं हैं. 52 जिलों में से केवल 8 जिलों में विशेष किशोर पुलिस इकाई काम कर रही है. मध्यप्रदेश के सभी स्थानों पर डीसीपीसी, बीसीपीसी और वीसीपीसी जैसी आईसीपीएस संरचनाएं अभी भी गठित नहीं हुई हैं.

गुमशुदा बच्चे- देश में हर साल लगभग 60,000 बच्चे गुम हो जाते हैं. सीआईडी से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक2017 में मध्यप्रदेश से 12417 बच्चे गायब थे, जिनमें से 5375 लड़के थे और 7042 लड़कियां थीं. लड़कों की तुलना में लड़कियां अधिक गायब हैं.

2013 से 2017 के पांच साल के आंकडों पर नजर डालें तो देखेंगे की कुल 13086 लडके और 28941 लडकियां गुम हुई हैं, यानि लड़कों की तुलना में लडकियां अधिक गुम हुई हैं. बच्चों के वापस मिलने के आंकड़ों पर नजर डालें तो 11950 लडके वापस मिले और 24122 लडकियां वापस मिली. मतलब 1101 लडके और 4812 लडकियां अभी भी गुम हैं.

बाल मजदूरी- बालश्रम निषेध व नियमन कानून 1986 में कुछ खास खतरनाक कार्यों को छोड़कर बाकी सभी कार्यों में बालश्रम को नियोजित किया गया है. देश का कानून बाल श्रम को पूरी तरह से रोकने और शिक्षा व सुरक्षित, बेहतर, भविष्य के लिए बच्चों के अधिकारों का संरक्षण कर पाने में नाकाम रहा है.

भारत में 5 से 14 साल के बच्चों की कुल संख्या 25.96 करोड है. इनमें से 1.01 करोड बच्चे श्रम करते हैं, यानी कामगार की भूमिका में हैं. जनगणना 2011 के ताजा आंकडों से पता चलता है कि 5 से 9 साल की उम्र के 25.33 लाख बच्चे काम करते हैं, जबकि 10 से 14 वर्ष की उम्र के 75.95 लाख बच्चे काम करते हैं.

43.53 लाख बच्चे मुख्य कामगार के रूप में, 19 लाख बच्चे तीन माह के कामगार के रूप में और 38.75 लाख बच्चे 3 से 6 माह के लिए कामगार के रूप में काम करते हैं.

मध्यप्रदेश (7 लाख) समेत पांच प्रमुख राज्यों में 55.41 लाख बच्चे श्रम में लगे हुए हैं, लेकिन राज्य सरकार सूचना के अधिकार में जानकारी देती है कि केवल 108 बाल मजदूर हैं. बाल मजदूरी करने वाले बच्चों के परिवार को इकाई मानकर उनके लिए एक बेहतर योजना बनाकर काम करने की जरुरत है, क्योंकि दबाव और शिकायत के कारण बच्चे काम से कुछ समय के लिए अलग होते हैं और पुनः वापस वहीं उन्हीं जगहों पर काम पर आ जाते हैं.

बाल विवाह- बाल विवाह केवल बच्चों से जुडा हुआ मामला नहीं है. यह सामाजिक व्यवस्था में आधिपत्य की राजनीति का एक अहम हिस्सा है. एक तरफ तो यह बच्चों के बहुआयामी विकास और व्यक्तित्व निर्माण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, तो वहीं दूसरी तरफ समाज में लैंगिक और सामाजिक बराबरी लाने की राह में रोडा भी है. जनगणना 2011 के मुताबिक जनगणना के समय मध्यप्रदेश में 891811 लोग (बच्चे) ऐसे थे जिनकी उम्र विवाह की कानूनी उम्र से कम थी, परन्तु वे विवाहित थे. इसी तरह 29441 बच्चे ऐसे थे, जो विधवा/विधुर, अलग हुए/तलाकशुदा थे. इनमें से 12382 लडकियां और 17059 लडके थे. बाल विवाह को खत्म करने के लिए जो अभियान चलाए जाते हैं, वह अक्सेर सीमित समय के लिए होते हैं.

शिक्षा- बेहतर शिक्षा व्यवस्थाक यानी बेहतर भविष्य-

प्रदेश में 1,43,584 स्कूल हैं. 1,14,326 स्कूल सरकारी तथा 27,562 स्कूल गैर सरकारी हैं. मप्र में 1696 मदरसे संचालित हैं. वर्ष 2015—16 की तुलना में वर्ष 2016—17 में सरकारी स्कूलों की संख्या में 1067 की कमी आई है. सरकारी स्कूल में बच्चों का नामांकन कम हो रहा है और गैर सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ रहा है.

स्कूलों में खेल का मैदान - मध्यप्रदेश के लगभग 33 प्रतिशत स्कूलों में खेल के मैदान नहीं हैं. सतना के 50 प्रतिशत, अनूपपुर और कटनी के 48 प्रतिशत, डिंडौरी के 47 प्रतिशत और पन्ना और टीकमगढ़ के 43 प्रतिशत स्कूलों में खेल मैदान नहीं हैं.

स्कूलों में बिजली की उपलब्धता - मध्यप्रदेश अब भी देश का तीसरा सबसे पिछड़ा राज्य है जहां महज 27 प्रतिशत स्कूलों तक बिजली पहुंच पाई है. डिजिटल इंडिया में कम्प्यूटर और अन्य उपकरण चलाने के लिए बिजली एक अनिवार्य जरूरत है. अलीराजपुर में सबसे कम 9.4, डिंडौरी 11.8, बैतूल 12.7, झाबुआ 13.4 और अनूपपुर जिले में 15.2 प्रतिशत स्कूलों में ही बिजली है. भोपाल 64.4 प्रतिशत, इंदौर 60.8 प्रतिशत, ग्वालियर 52.4 प्रतिशत, नीमच 39.8 प्रतिशत और जबलपुर के 39 प्रतिशत स्कूलों में ही बिजली है.

स्कूलों में कम्प्यूटर - मध्यप्रदेश के 15.1 प्रतिशत स्कूलों में कम्प्यूटर हैं. इस मामले में मध्यप्रदेश देश में 29वें स्थान पर है. दमोह जिले को छोडकर पांच जिले जहां के स्कूलों में कम्प्यूटर का प्रतिशत कम है वे आदिवासी-बहुल जिले ही हैं, जबकि शहरी आबादी वाले जिले इंदौर, भोपाल, ग्वालियर के अलावा बुरहानपुर और शाजापुर में अधिक है.

स्कूलों में पेयजल - मध्यप्रदेश में 96.4 प्रतिशत स्कूलों में ही पेयजल की व्यवस्था है,जबकि देश के 12 राज्य ऐसे हैं जहां के शत प्रतिशत स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था है, मध्यप्रदेश स्कूलों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के मामले 24वें स्थान पर है.

बालिका शौचालय- मध्यप्रदेश के 95 प्रतिशत स्कूलों में बालिका शौचालय हैं. देश में प्रदेश 31वें स्थान पर है, हालांकि इस प्रकार का कोई डाटा नहीं है जिससे यह पता चले की कितने शौचालय कार्यरत हैं, अर्थात जिनका उपयोग होता है. बड़ा मुददा यह है कि शौचालय चालू अवस्था में नहीं हैं.

बाउंड्रीवाल - यह स्कूलों में न केबल बच्चों की सुरक्षा बल्कि स्कूली भवनों और अन्य शैक्षणिक सामानों की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है. मध्यप्रदेश के 10.4 प्रतिशत प्राथमिक स्कूल भवनों को बडी मरम्मत की जरुरत है. महज 45.4 प्रतिशत स्कूलों में ही बाउंड्रीवाल है, और इस बिंदु पर देश में 29वें पायदान पर हैं.

एकल शिक्षक स्कूल- वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2016-17 में प्रदेश में एकल शिक्षक स्कूलों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है. प्रदेश में 2015-16 में 18915 एकल शिक्षक स्कूल थे, जो वर्ष 2016-17 में बढकर 19132 हो गए हैं. आदिवासी-बाहुल्यी जिले अलीराजपुर में सबसे अधिक 31.5, डिंडोरी 28.3, मंडला 27.0 और झाबुआ जिले के 26.8 प्रतिशत स्कूल एक शिक्षक के भरोसे हैं.

स्कूल से बाहर बच्चे - डाइस के मुताबिक 6-14 वर्ष उम्र के बच्चों का स्कूल में दाखिला लेने की दर प्राथमिक स्तर पर 78.62 एवं माध्यमिक स्तर पर 70.29 प्रतिशत है. मध्यप्रदेश दोनों स्तर पर देश में 21वें पायदान पर है, सरल शब्दों में कहें तो 6-11 वर्ष के 21.38 प्रतिशत बच्चों को प्राथमिक स्तर पर और 12-14 वर्ष के 29.71 प्रतिशत बच्चों को माध्यमिक स्तर पर इस उम्र में दाखिला नहीं मिला.

हमारी भाषा- भाषा बच्चे के लिए एक ऐसा माध्यम है जिससे वह अपने जीवन की पहली शिक्षा की सीढ़ी चढता है और यह शुरुआत उसके परिवार से ही होती है. भाषा बच्चे को अभिव्यक्ति में मदद करने के साथ-साथ परिवार एवं समुदाय में उसके रिश्तों को भावनात्मक दृष्टि से ओर मजबूत बनाती है. हालाँकि एक बच्चे में एक से अधिक भाषा सीखने की क्षमता होती है, लेकिन उसकी क्षेत्रीय भाषा उसे चीजों को समझने में ज्यादा मदद करती है जिससे उसका विकास भी होता है. इसलिए आंगनवाड़ी एवं स्कूल में शिक्षिकाएं एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यदि बच्चों से क्षेत्रीय भाषा में संवाद करें तो बच्चों को आगे बढने में मदद मिलती है और उसका मानसिक विकास तेजी से होता है.

लोक स्वास्थ्य - मजबूत स्वास्थ्य, तंदुरुस्त देश

लोक स्वास्थ्य एक ऐसा व्यापक विषय है जिससे हर कोई जुड़ा है. हमारे देश की परिस्थितियों को देखते हुए लोगों के हित में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है. इसके लिए लोक स्वास्थ्य संस्थाओं को मेडिकल कॉलेज के स्तर से उप स्वास्थ्य केन्द्रों तक बेहतर और मजबूत बनाए जाने की जरूरत है. ऐसा तभी संभव हो पाएगा जबकि स्वास्थ्य

और चिकित्सा सेवायें गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों दृष्टि से बेहतर होंगी, और ऐसा करने के लिए सबसे जरूरी होगा स्वास्थ्य क्षेत्र को निजीकरण से बचाया जाए. इसके लिए जहां एक ओर बेहतर आधारभूत संरचनाएं और सेवाएं खड़ी करनी होंगी और उन्हें पर्याप्त मानव संसाधनों से लैस करना होगा, वहीं दूसरी ओर उन तक आमजन की पहुंच सहज करना होगी.

बच्चों का स्वास्थ्य - दस साल पहले मध्यप्रदेश में एक साल तक की उम्र के एक हजार जीवित जन्में बच्चों में से 74 बच्चों की मौत हो जाती थी जो देश में सबसे अधिक थी. ग्रामीण क्षेत्र में यह दर 79 तो शहरी क्षेत्र में यह दर 52 थी. 2017 में मध्य प्रदेश में यह शिशु मृत्यु दर 47 है जो एक चुनौती बनी हुई है. मध्य प्रदेश में पिछले दस सालों में शिशु मृत्यु दर में 27 अंक की गिरावट दर्ज की गई है, इसमें और तेजी से गिरावट लानी होगी.

इसी तरह बाल मृत्यु दर के मामले में भी 2015-16 की स्थिति में प्रदेश में एक हजार जीवित बच्चों में से 65 बच्चे अपना पांचवा जन्मदिन नहीं मना पाते. इस मामले में मध्यप्रदेश देश में चौथे स्थान पर है.

बच्चों में ठिगनापन भी एक बड़ी चुनौती है. प्रदेश में 2005-06 में तीन साल तक की उम्र के 46.5 प्रतिशत की ऊँचाई उनकी उम्र के अनुसार नहीं थी. दस साल बाद 2015-16 में यह दर 42.0 प्रतिशत है. इसी तरह पांच साल की उम्र के 57.9 प्रतिशत बच्चों का वजन उनकी उम्र के अनुसार कम था. साल 2015-16 में यह दर 42.0 प्रतिशत है. इन मानकों के नज़रिए से बच्चों का स्वादस्य्े सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती पेश करता है.

टीकाकरण- प्रदेश में साल 2005-06 में दो बर्ष तक के बच्चों के सम्पूर्ण टीकाकरण की दर 40.3 प्रतिशत थी जो दस बर्ष बाद बर्ष 2015-16 में यह दर 53.6 प्रतिशत हो गई. परन्तु मध्यप्रदेश अब भी देश के दस पिछडे राज्यों में आठवे स्थान पर है.

टिटनेस का टीका एवं आयरन फोलिक एसिड की गोली- सुरक्षित मातृत्व और शिशु स्वास्थ के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए टिटनेस का टीका बहुत जरूरी है. प्रदेश में वर्ष 2015-16 में 89.8 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को यह टीका लग पाया. 23.6 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं ने ही 100 आयरन फोलिक एसिड की गोलियों खाईं.

शिशु को जन्म के एक घंटे में मां का दूध- प्रदेश में वर्ष 2005-06 में 14.9 प्रतिशत शिशुओं को जन्म के एक घंटे में मां का दूध मिलता था वर्ष 2015-16 में यह दर 34.5 प्रतिशत है. मध्यप्रदेश इस मामले में देश के दस पिछडे राज्यों में आठवे स्थान पर है. मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में यह दर 35.5 प्रतिशत है.

मध्यप्रदेश बाल कार्य योजना 2019-2024

विज़न -

प्रदेश का प्रत्येक बच्चा सुरक्षित वातावरण में विकास के सभी अवसरों के साथ अपना सुखद और संभावनापूर्ण बचपन जी सके.

मिशन -

राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि प्रदेश के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ पानी, सेनिटेशन, पोषण, सुरक्षा, सुरक्षित पर्यटन तथा खेल की सुविधाएं मुहैया हों. बाल विवाह, बाल श्रम, बाल बंधुआ मजदूरी, अनैतिक कार्यों जैसे ट्रैफिकिंग, नशीले पदार्थों के व्यापार, यौन शोषण आदि से दूर रखकर बच्चों को विकास के समस्त अवसर उपलब्ध करवाएगा और उनके हितों से जुडे मामलों में उनकी भागीदारी से सभी निर्णय लेने में राज्य शासन सभी उपयुक्त एवं प्रभावी कदम उठायेगा. मप्र शासन एक ऐसा ढांचा विकसित करने के पक्ष में है जो बच्चों के हित और उनके विकास में सहायक एवं पूरक साबित हो.

मार्गदर्शी सिद्धांत -

- राज्य के लिए हर बच्चा सर्वोपरि महत्वपूर्ण पूंजी है.
- प्रत्येक बच्चे को स्नेह, सुरक्षा और सहयोग की आवश्यकता है चाहे वह परिवार में हो या परिवार के बाहर हो.

- सभी परिवारों के बच्चों को सुरक्षा और सुविधाओं का अधिकार है ताकि उनका समग्र और समुचित विकास हो सके.
- राज्य की यह ग्यारंटी होनी चाहिये कि राज्य के सभी बच्चों को समान अवसर मिलें और सभी बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो. सभी बच्चों के सम्पूर्ण विकास और उनकी भागीदारी के लिए समान शिक्षा, रचनात्मक सोच विकसित करने के लिए पर्याप्त अवसर, मूल्यों के साथ जीवन कौशल इस तरह से सिखाये जायें कि वे समाज में जिम्मेदार नागरिक बन सकें और उनकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित हो सके.
- यह कार्य योजना बच्चों से सम्बन्धित सभी नीतियों, योजनाओं, नियम – कायदों, कानूनों और क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शक एवं एकीकृत दस्तावेज के रूप में संदर्भ का कार्य करेगी.
- स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राज्य स्तर पर की जाने वाली बच्चों की सभी गतिविधियों के लिए इस कार्य योजना के प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा.

बाल नीति के निर्देशक बिंदु

- बच्चों के अधिकार सार्वभौमिक, अहस्तान्तरणीय, संपूरक, परस्पर निर्भर एवं अभाज्य होते हैं और राज्य इन सभी अधिकारों का सम्मान करता है और उन्हें मान्यता देता है.
- समता, न्याय और गैर-भेदभाव जैसे सभी मूल्यों को ध्यान में रखते हुए बच्चों से सम्बन्धित सभी गतिविधियों और क्रियाकलापों को लागू करवाने का दायित्व शासन का रहेगा, चाहे वह किसी व्यक्ति, संस्था या किसी अधिकृत एजेंसी द्वारा किये जा रहे हों.
- बच्चों के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव - चाहे वह जाति, लिंग, वर्ग, वर्ण, उम्र, भाषा, पहचान, निवासी, या आर्थिक आधार पर हो, नहीं किये जा सकेंगे.
- सभी बच्चों की सुरक्षा राज्य की महती जिम्मेदारी होगी. बच्चों को किसी भी तरह से शोषण, यौनिक शोषण, उपेक्षा और नुकसान से बचाया जायेगा.
- राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि सभी स्तरों पर बच्चों का समावेश हो और उनके अधिकार सुरक्षित किये जाएँ – खासकर के वंचित और हाशिये पर स्थित बच्चों का या वे बच्चे जो किसी भी तरह से जल्दी किसी भी घटना का शिकार बनते हैं. सभी बच्चों को समान अवसर उपलब्ध करवाने की राज्य शासन की जिम्मेदारी होगी. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी तरह के धार्मिक अनुष्ठान, परम्पराएं, रीति रिवाज या सांस्कृतिक प्रथाओं के आधार पर बच्चों के साथ दुर्व्यवहार न हो और उनका इस्तेमाल बच्चों के विरुद्धन किया जा सके.

- बच्चों के सभी अधिकारों को संरक्षण देने की जिम्मेदारी सिर्फ राज्य शासन की ही नहीं, बल्कि अर्ध- शासकीय संस्थाओं, स्वैच्छिक संस्थाओं और समाज के हर वर्ग और व्यक्ति की भी होगी.
- सभी कार्यक्रम, सम्मेलन और गतिविधियों में बच्चों की बराबरी से भागीदार हो, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी शासन की होगी और इनके आयोजन में बच्चों की रूचि का ध्यान रखा जाएगा.
- आयु-वर्ग को ध्यान में रखते हुए सभी आयोजनों और गतिविधियों में बच्चों से सलाह और स्वीकृति के पश्चात् ही निर्णय लिए जाकर लागू होंगे. हर उस गतिविधि में बच्चों की स्वीकृति ली जायेगी जो उनके जीवन पर असर डालती है, चाहे वह वर्तमान या आने वाले भविष्य से संबंधित हो.
- अतिसंवेदनशील बच्चों के संदर्भ यहाँ उल्लेखनीय है कि यहाँ आशय दलित, आदिवासी लडके एवं लडकियां, सेक्स वर्कर्स के बच्चे, एचआईवी / एड्स से पीडित माता पिता या बच्चे, घुमक्कड जातियों के बच्चे, पलायन पर गए बच्चे, विस्थापित बच्चे, अनाथ और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे, दंगों – फसाद से विस्थापित या अनाथ हुए बच्चे, प्राकृतिक आपदा के शिकार बच्चे, नशीली दवाओं के उपयोग में संलग्न और यौन शोषण की गिरफ्त या व्यवसाय में शामिल बच्चे और खरीद फरोख्त कर जीवन जी रहे बच्चे शामिल है. राज्य शासन इन सभी बच्चों के अधिकार, सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी लेता है.
- बच्चे परिवार की महत्वपूर्ण इकाई हैं, न कि अलग से कोई स्वतंत्र इकाई. राज्य शासन इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि परिवार को वे सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएँ जो खुशहाल जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है.
- बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए परिवारों में सुखद एवं सहयोगात्मक माहौल होना जरुरी है. साथ ही बच्चों से सम्बंधित संस्थाओं में खुला एवं सहयोगात्मक माहौल होना आवश्यक है. ऐसे बच्चे जो इन दोनों से दूर हैं, उनके लिए राज्य शासन समुचित व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाएगा ताकि सभी बच्चों के अधिकार सुरक्षित हों और सभी अपना सर्वांगीण विकास कर सकें.
- बच्चों की गोपनीयता और निजता का राज्य शासन पूरा सम्मान करता है.
- राज्य के विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं और नीतियों में बच्चों की निज रूचि, निजता, सामूहिकता, विशेष जरूरतों और अति अतिसंवेदनशील बच्चों के लिए यह बाल कार्य योजना पथ प्रदर्शक का कार्य करेगी.
- सभी विभागों को अपनी योजनायें आपसी तालमेल से इस तरह बनानी होंगी

कि सभी योजनाओं का उद्देश्य बच्चों के अधिकारों का संरक्षण और विकास हो. इसके लिए वे आपस में विभागीय समन्वय करेंगे न कि स्वतंत्र रूप से अकेले-अकेले कार्यक्रम संचालित करें.

- बच्चों के अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए मुख्य रूप से राज्य शासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी और राज्य अपनी सभी एजेंसियों और हितधारकों से इसके लिए सहयोग मांग सकेगा.
- राज्य शासन यह निश्चित करेगा कि सभी एजेंसियों में आपस में सद्भाव, परस्पर सम्मान और तालमेल हो ताकि प्रदेश में बच्चों के लिए सभी प्रकार के अधिकारों को लागू किया जा सके और अतिसंवेदनशील और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विकास के समुचित अवसर मिलें.

मध्यप्रदेश बाल कार्य योजना बाल की मुख्य प्राथमिकताएं

मध्यप्रदेश बाल नीति में निम्नलिखित 4 प्राथमिकताएं तय की गई हैं. ये हैं, उत्तरजीविता, स्वास्थ्य एवं पोषण, संरक्षण, शिक्षा एवं विकास तथा भागीदारी.

उत्तरजीविता, स्वास्थ्य एवं पोषण

1.1 विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए कहता है कि स्वास्थ्य का आशय शारीरिक, मानसिक और सामजिक रुप से व्यक्ति स्वस्थ होने से है, सिर्फ शरीर में बीमारी न होना स्वास्थ्य नहीं है. राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि सभी बच्चों के लिए सभी जगह स्वास्थ्य की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हों और सभी बच्चों को जन्म के पूर्व, जन्म के दौरान एवं जन्म के बाद आवश्यक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं अनिवार्य रुप से मिलें.

1.2 राज्य यह निश्चित करेगा कि सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं सभी स्तरों पर अनिवार्य एवं निःशुल्क उपलब्ध हों और राज्य इस हेतु राज्य में इंडियन पब्लिक हेल्थ सर्विस के पैमानों के अनुरुप आवश्यक मानव संसाधन, उपकरण, दवाइयाँ और प्रबंधन उपलब्ध करायेगा.

1.3 सभी उम्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण, जांच, निदान एवं दवाइयों आदि की समुचित व्यवस्था की जाएगी. स्वास्थ्य के ढाँचे में सुधार किया जाएगा और समुदाय को भागीदार बनाकर स्वास्थ्य के तंत्र को मजबूत किया जाएगा ताकि समुदाय बच्चों और महिलाओं का विशेष ध्यान रख सके. राज्य सभी स्तरों पर स्वास्थ्य कर्मियों का सशक्तिकरण एवं प्रशिक्षण का कार्य इस तरह करेगा कि स्वास्थ्य कर्मी एवं सेवा प्रदाता बच्चों के साथ स्नेह और सहानुभूति से पेश आएं और उच्च स्तरीय सेवाएं प्रदान करें.

1.4 सभी स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सकों को सेवा पूर्व एवं सेवा के दौरान उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा - ताकि वे नए अनुसंधान और शोध से अवगत होकर सेवा प्रदान करने में यथोचित रूप से पारंगत हो सकें. ऐसा करने से वे समुदाय का विश्वास जीत सकेंगे और स्वास्थ्य तंत्र को बेहतर बना सकेंगे.

1.5 जानकारियों के प्रचार-प्रसार और फैलाव के लिए सेवाओं की गुणवत्ता का प्रभाव और आकलन किया जाना आवश्यक है. राज्य सुनिश्चित करेगा कि जागरुकता के लिए समुदाय में व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित तथ्यात्मक जानकारियां दी जा सकें, ताकि समुदाय बच्चों को लेकर अपने व्यवहार में परिवर्तन ला कर बच्चों के साथ सकारात्मक व्यवहार करे. साथ ही, महिलाओं और किशोरियों में व्यापक स्तर पर स्वास्थ्यपरक जानकारियों का प्रचार-प्रसार किया जायेगा.

1.6 ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहर की तंग बस्तियों में विशेष कैंप के द्वारा कन्या भ्रूण लिंग से संबंधित जानकारियां दी जाएंगी. कन्या भ्रूण लिंग की हत्या ना हो, इस हेतु जागरूकता के साथ-साथ कानून की भी जानकारी दी जाएगी. सभी प्रकार के नर्सिंग होम, निजी अस्पताल, निजी डॉक्टर और झोलाछाप डॉक्टरों के बीच में यह संदेश कड़ाई से दिया जाएगा कि यदि भ्रूण लिंग परीक्षण किया जाकर कन्या भ्रूण की हत्या हुई तो उसमें सजा के कड़े प्रावधान है. इससे कन्या भ्रूण हत्या रुकेगी और बालिकाओं के साथ जन्म के पूर्व होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जा सकेगा.

1.7 सभी गर्भवती माताओं के लिए प्रसव-पूर्व जांच, टीकाकरण और संस्थागत प्रसव को सुनिश्चित किया जाएगा. अस्पतालों में प्रसव के लिए पर्याप्त सुविधाएं हों और गर्भवती माताओं को समुचित देखभाल के साथ दवाइयां निशुल्क मिलें, साथ ही उनके लिए निर्धारित प्रोत्साहन राशि का त्वरित भुगतान हो, इस हेतु राज्य प्रतिबद्ध है.

1.8 नवजात शिशु की देखभाल सही हो, इस हेतु प्रयास किए जाएंगे. राज्य यह देखेगा कि जिन जिलों में शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर अधिक है, वहां विशेष प्रयास करके इस समस्या से निपटने के लिए अधिक मानव संसाधन के साथ सघन सेवाएं दी जाएं.

1.9 यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गर्भवती एवं धात्री महिलाओं की देखभाल 'मानक उपचार दिशा-निर्देशों' के अनुसार की जाये. यदि किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही होती है तो जिम्मेदारी तय करते हुए राज्य उस व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करेगा.

1.10 गर्भवती महिलाओं एवं धात्री महिलाओं के लिए आंगनवाड़ियों से पर्याप्त पोषाहार नियमित वितरित होगा. आंगनवाड़ी में नियमित देखभाल, सलाह एवं टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा.

1.11 महिलाओं की जांच के बाद उनमें जिन पोषक तत्वों की कमी है, उन्हें प्रदान किये जायेंगे.

1.12 आदिवासी क्षेत्रों में आंगनवाड़ियों को सशक्त किया जाकर महिलाओं को पर्याप्त पोषाहार दिए जाएंगे.

1.13 बच्चों के जन्म के समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि माताओं को एचआईवी / एड्स न हो और यदि होता है तो बच्चों के जन्म के समय विशेष टीके लगाकर उन्हें एचआईवी एड्स से बचाने के प्रयास किए जाएंगे ताकि ये बच्चे आगे जाकर समाज में भेदभाव का शिकार ना बनें.

1.14 राज्य शासन यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चों की जांच जन्म के समय से 5 साल तक लगातार होती रहे - ताकि यदि उन्हें कोई विशेष बीमारी हो तो उसका पता प्रारम्भिक स्तर पर या जल्दी चल जाए और राज्य उनके इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर सके. एक भी माता या शिशु की मृत्यु न हो यह प्रतिबद्धता राज्य शासन की रहेगी.

1.15 समुदाय आधारित पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की जाएगी और बड़े पैमाने पर महिलाओं, किशोरियों और बच्चों में जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाएंगे - ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति सचेत होकर स्वास्थ्य सेवाओं की मांग कर सकें और स्वस्थ जीवन-यापन कर सकें.

1.16 राज्य सभी आंगनवाड़ियों में समन्वित बाल विकास योजना के पैमानों के अनुरूप सभी बच्चों, महिलाओं और किशोरियों को 6 प्रकार की निर्धारित सेवाएं आंगनवाड़ियों के माध्यम से देने के लिए संकल्पित है.

1.17 राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि सभी गर्भवती महिलाओं का आंगनवाडी पर पंजीयन हो और इन महिलाओं को पोषाहार नियमित मिले. यदि कोई महिला कुपोषित है या उसमें खून की कमी है तो उसे चिकित्सकीय आधार पर दोगुना पोषाहार और लौह सप्लिमेंट्स, जैसे आयरन फालिक एसिड आदि की खुराक दी जाएगी.

1.18 यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नवजात शिशुओं को जन्म के तुरंत बाद या आधे

घंटे में समस्त माताएं अपना पहला दूध (खीस) अवश्य पिलायें तथा 6 माह तक उन्हें केवल स्तनपान ही करवाएं और ऊपरी आहार या पानी ना कदापि न दें ताकि बच्चों को संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षण मिले और उन्हें बीमारियों से बचाया जा सके.

1.19 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को प्रशिक्षण के साथ-साथ समुदाय का भी पोषण एवं पोषण से संबंधित मुद्दों पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए राज्य प्रतिबद्ध है ताकि बच्चों को बाल्यावस्था में घरों में पर्याप्त पोषण मिले और वे कुपोषण के शिकार न हों.

1.20 सभी ब्लाक एवं जिला स्तर पर पोषण पुनर्वास केंद्र और अन्य ऐसे सभी केंद्रों का लगातार निरीक्षण करके यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह सेवाएं सभी के लिए निःशुल्क, अनिवार्य एवं पहुंच में हों. बच्चों और माताओं का लगातार फॉलोअप हो और कुपोषण से यदि कोई ग्रसित होता है तो उसके लिए विशेष प्रावधान किए जाकर तत्काल समुचित इलाज और पोषाहार की व्यवस्था विशेष रूप से की जाएगी.

1.21 किशोर बालिकाओं के लिए उनके स्वास्थ्य, स्वच्छता और जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा. साथ ही उनके लिए जीवन कौशल शिक्षा, स्कूल के साथ-साथ आंगनवाड़ियों में भी सलाह और पोषण आहार सेवाएं दी जाएंगी.

1.22 बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए सेनेटरी नैपकिन का प्रयोग कैसे किया जाए और उनकी उपलब्धता आंगनवाड़ियों पर या समुदाय में सुनिश्चित की जा कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे प्रजनन तंत्र से संबंधित बीमारियों से बची रह सकें और स्वस्थ आदतों का विकास कर सकें.

1.23 आंगनवाड़ियों में शून्य से छः वर्ष तक के बच्चों के लिए पोषाहार और शिशु देखभाल के साथ-साथ 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा का भी प्रावधान किया जाएगा और बच्चों को मनोरंजक ढंग से शिक्षा प्रदान की जाएगी - ताकि वे शालापूर्व सामाजीकरण, उंगलियों और दिमाग के बीच तालमेल बिठाते हुए सीखने का अभ्यास आरम्भ कर सकें, वर्णमाला – गिनती, पशु पक्षियों की पहचान, छोटे सरल वाक्य बोल पाना आदि के बारे में बुनियादी जानकारी प्राप्त कर सकें, सीख सकें और अपनी बात सरल भाषा में व्यक्त कर सकें - इस हेतु प्रत्येक आंगनवाड़ी पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान की जाएगी.

1.24 कुपोषण से निपटने के लिए प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर एक न्यूट्री कॉर्नर स्थापित

किया जाएगा जहां पर विशेष रूप से कुपोषित बच्चों के लिए पौष्टिक आहार जैसे दाने या तिल की चिक्की, तिल या दाने के लड्डू, परमल के लड्डू या विभिन्न प्रकार की सब्जियों के व्यंजन रोज उपलब्ध होंगे और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यह ध्यान रखेगी की कुपोषित बच्चों को यह सामग्री आसानी से उपलब्ध हो और बच्चे जब मन करे तब हाथ से लेकर खा सकते हों. प्रत्येक आंगनवाड़ी पर सुपाच्य, पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्धक भोजन पकाकर दो वक्त सभी बच्चों को दिया जाएगा.

1.25 राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि इसके लिए महिला बाल विकास विभाग के बजट में पर्याप्त प्रावधान हो और बच्चों को पका हुआ ताजा खाना रोज मिले. यह बात विभाग सुनिश्चित करे कि जो बच्चे अति कुपोषित हैं, उन्हें तीसरा भोजन भी दिए जाने का राज्य वचन देता है.

1.26 मप्र के जिन 89 आदिवासी ब्लॉक में अंडे खाना प्रतिबंधित नहीं है - वहां पर बच्चों को हफ्ते में 3 दिन एक अंडा प्रतिदिन दिया जाएगा.

1.27 कृषि एवं सामाजिक वानिकी विभाग के सहयोग से प्रत्येक गाँव, बस्ती और मजरे - टोले में हर परिवार को सब्जियों के बीज वितरित किये जायेंगे ताकि लोग अपने दालान, रसोई घर के पीछे सब्जियां उगा सकें, सब्जी खाना उनकी आदत बने और कम से कम एक सब्जी रोज प्रत्येक परिवार खाए. यह योजना बनाकर राज्य काम करेगा ताकि भोजन की थाली में उपयुक्त एवं पर्याप्त पोषाहार और सूक्ष्म-पोषक तत्व उपलब्ध हो सकें. सब्जियों को रोज इस्तेमाल करने से पोषक तत्वों की भरपाई हो जाती है और कुपोषण से काफी हद तक निपटा जा सकता है.

1.28 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिये नियमित क्षमता वृद्धि कार्यक्रम होंगे और सतत मूल्यांकन और अनुश्रवण करते हुए राज्य उनके लिए लगातार पारिश्रमिक और प्रोत्साहन राशि सुनिश्चित करेगा.

साफ पानी, स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वच्छता पर पहुंच

1.29 साफ पानी, स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वच्छता पर पहुंच राज्य के हर बच्चे की हो, प्रदेश के हर भाग में पीने का साफ पानी उपलब्ध हो. यह पानी घरों, समुदाय, स्कूल और बाजारों में निशुल्क उपलब्ध हो, राज्य यह सुनिश्चत करेगा.

1.30 मप्र राज्य के सभी बच्चों को खुले में शौच ना जाना पड़े एवं हर घर में, स्कूल में और सार्वजनिक स्थलों पर पर्याप्त संख्या में शौचालयों का निर्माण एवं उनका नियमित

रख-रखाव किया जाएगा. यह विदित है कि अधिकाँश बीमारियाँ सफाई न रखने से होती हैं. खुले में शौच करना अब दंडनीय अपराध भी है.

1.31 हाथ धोने की स्वस्थ परंपरा को बढ़ावा देने के लिए राज्य, स्कूल शिक्षा विभाग में पर्याप्त बजट रखेगा और सभी बच्चों को स्कूल, आंगनवाड़ी और पंचायतों में या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर साबुन निशुल्क उपलब्ध हो - ताकि बच्चों में व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढे. साथ ही बच्चे यह व्यवहार अपने जीवन में अपनाएं और बीमारियों से दूर रहें.

1.32 राज्य शासन सुशासन के द्वारा यह सुनिश्चित करेगा कि सफाई, पोषण और स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त बजट हो और समय-समय पर इसका अंतरण बगैर किसी बाधा के निचले स्तर तक होता रहे. समय – समय पर अंतरण होने से सभी सेवाएं सुचारू रूप से चालू रहेंगी, इस बात को सुनिश्चित करना राज्य की प्राथमिकता होगी – और मात्र बजट की कमी से इन सुविधाओं में कटौत्री न हो या कोई भी बच्चा, किशोरी, गर्भवती या धात्री महिला बीमार एवं कुपोषित न हो.

बाल संरक्षण

1.33 बच्चों का संरक्षण किसी भी राज्य की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता होनी चाहिए और इसका अर्थ यह है कि राज्य के सभी बच्चे सुरक्षित वातावरण में पले और बढ़े- अपनी स्वतंत्रता और सम्मान के साथ, परंतु समाज में बच्चों की जिस तरह से उपेक्षा होती है वह बेहद चिंताजनक है. बच्चे हमारे समाज के नागरिक नहीं हैं यह कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी. बच्चों के अधिकारों का हनन वास्तव में उनके जीवित रहने और विकास के रास्ते में सबसे बड़ा अड़ंगा है जो अंततः मानव अधिकारों की श्रेणी में एक बड़ा उल्लंघन है.

1.34 मप्र राज्य बच्चों के अधिकारों और उनके सम्मान और स्वतंत्रता को लेकर सजग है और वे सभी तरह के प्रयास करेगा जिससे बच्चों के हितों की रक्षा हो सके और वे अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें. इसमें अति संवेदनशील बच्चे भी शामिल हैं.

1.35 राज्य यह प्रयास करेगा कि बच्चों के साथ किसी भी स्तर पर अन्याय, भेदभाव ना हो चाहे वे किसी भी लिंग, जाति, समुदाय, वर्ग- वर्ण या सामाजिक- आर्थिक या भौगोलिक पृष्ठ भूमि के हो.

1.36 राज्य सभी बच्चों की सुरक्षा हेतु उपयुक्त कदम उठाएगा और अपने सभी कार्यक्रमों

और सभी योजनाओं में यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चों के अधिकार और बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि रहे.

1.37 राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि एक सुरक्षित और वातावरण में बच्चे पढ़ें एवं बढें- खास करके सभी सार्वजनिक स्थलों पर बच्चों की सुरक्षा महत्वपूर्ण अंग हो.

1.38 राज्य यह देखेगा कि हर स्तर पर सूक्ष्मतम जांच और ऐसे तंत्र विकसित किए जाएं जो लगातार यह देखें कि बच्चे परिवारों में या सार्वजनिक स्थलों पर खतरे में ना हो.

1.39 राज्य इस बात के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेगा कि बच्चों के लिए समुदाय स्तर पर सुरक्षा की प्रक्रिया बनाई जाए और परिवारों को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाए कि वे बच्चों को बगैर किसी भेदभाव डर या खौफ के बड़ा कर सकें.

1.40 सभी संस्थाओं में जैसे कि स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक जगहों पर बच्चे सुरक्षित रहे - यह राज्य का प्रयास होगा.

1.41 किशोर न्याय अधिनियम और समन्वित बाल संरक्षण योजना को मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा.

1.42 राज्य इन दोनों कानूनों की योजना बनाकर श्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए राज्य आधारित एक फ्रेमवर्क बनाकर काम करेगा - जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बच्चे सर्वाधिक उपेक्षित रहते हैं उनके लिए भी शासन के विभिन्न विभागों और पंचायतों के सहयोग से मिलकर एक तंत्र विकसित करेगा जिसमें सभी बच्चे सुरक्षित रहें और अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें.

1.43 समन्वित बाल संरक्षण योजना और किशोर न्याय अधिनियम के अतिरिक्त यह कोशिश होगी कि बाल विवाह एवं बाल श्रम कानून, ट्रैफिकिंग कानून आदि के अनुश्रवण और निगरानी का कार्य पंचायत करें क्योकि प्रदेश का अनुभव यह बताता है कि ये समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है, ताकि अति संवेदनशील बच्चों को निगाह में रखा जा सके और समय - समय पर उनकी मदद की जा सके.

1.44 मध्यप्रदेश में खदानें, उद्योग और खेती में कई बच्चे बाल श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं जो बहुधा जान जोखिम में डालकर काम करते हैं और बहुत रिस्क पर रहते हैं. राज्य यह ग्यारंटी देता है कि सभी बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी राज्य की है तथा राज्य सभी बच्चों के हितों के लिए संकल्पित है.

1.45 राज्य सभी संस्थागत प्रक्रियाओं को समन्वित बाल संरक्षण योजना और किशोर न्याय अधिनियम के तहत मजबूत करेगा और आवश्यकता पड़ने पर सभी बच्चों को सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक और कानूनी मदद प्रदान करेगा. वे बच्चे जो विशेष परिस्थितियों में अपराध करते हैं या करने को मजबूर होते हैं उनके लिए भी राज्य विशेष प्रयास करेगा ताकि ये बच्चे अपराधों से दूर रहें.

1.46 बच्चों के अधिकारों के लिए राज्य अपने बजट में प्रावधान करके इन सभी प्रक्रियाओं को सभी विभागों के माध्यम से मजबूत करेगा और राज्य स्तर पर बच्चों के अनुकूल, विधि शास्त्र की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए कानूनी प्रक्रियाओं और मामलों की समय बद्ध सुनवाई कर निपटारा करने की कोशिश करें.

1.47 राज्य बच्चों के विरुद्ध किए जा रहे अपराध और अपराधियों के खिलाफ निश्चित समय सीमा में कार्यवाही करके अपराधियों को दंड देने की कार्यवाही करेगा.

1.48 1986 के बाल श्रम एवं किशोर श्रम कानून को सख्ती से लागू करके राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी बच्चा या किशोर श्रम ना करें, कोई भी बच्चा बाल श्रम करने के लिए मजबूर ना हो और श्रम ना करें - राज्य यह सतत निगरानी करेगा.

1.49 शिक्षा विभाग और श्रम विभाग के आपसी तालमेल से किशोर न्याय अधिनियम को ध्यान में रखकर ऐसी योजनाएं बनाई जाएंगी जिससे बच्चे अपनी उम्र में पढ़ाई करें ना कि बाल श्रम करें. सभी होटल, कारखानों, खेतों और ऐसी जगह पर जहां बाल श्रमिक होना संभावित हो - लगातार निगरानी और फॉलोअप किया जाएगा - ताकि बाल श्रमिकों को देखा जा सके और यदि पाए जाते हैं तो संबंधित मालिक या फैक्ट्री के मालिकों के या जमींदारों के खिलाफ कार्यवाही की जा सके.

1.50 राज्य सुनिश्चित करेगा कि शाला जाने वाली उम्र में सभी बच्चे अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करें ना कि उन्हें काम करने को मजबूर होना पडे. इसका अर्थ एक यह भी है कि यदि परिवारों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है तो राज्य पंचायतों के माध्यम से या सुशासन की स्थानीय इकाइयों के माध्यम से उनके अभिभावकों को रोजगार गारंटी कानून के तहत रोजगार उपलब्ध करवाने की कोशिश करेगा - ताकि बच्चे श्रम करने के बजाए शाला में पढ़ाई करें.

1.51 होटल, रेस्टोरेंट, खेत, घरेलू काम, फैक्ट्रियां, कारखाने और गृह उद्योगों में समय-समय पर श्रम विभाग के लोग निरीक्षण कर यह देखेंगे कि बाल श्रम ना हो - ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

1.52 इम्मोर्टल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट के तहत किशोर न्यायालय और किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना की गई है इस अधिनियम के तहत राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चों की खरीद फरोख्त, लेनदेन और व्यापार किसी भी स्तर पर कहीं भी ना हो - ऐसे अति संवेदनशील क्षेत्रों में जैसे आदिवासी क्षेत्र, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, राज्य की सीमाएं और जिलों की सीमाएं आदि पर विशेष निगरानी करके इस तरह के कार्यों को रोका जाएगा.

1.53 बच्चों के खरीदी बिक्री, लेनदेन - व्यापार में यदि कोई बच्चे बरामद किए जाते हैं तो राज्य पूरी संवेदनशीलता के साथ उनके अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए उनके योग्य पुनर्वास की कार्यवाही करेगा और किशोर न्याय अधिनियम के तहत उन्हें न्याय दिलवाएगा.

1.54 ट्रैफिकिंग के खिलाफ सभी विभागों के तालमेल करते हुए राज्य यह गारंटी देता है कि प्रदेश में कोई भी बच्चे का ना तो व्यापार कर सकेगा और न खरीदारी कर सकेगा, बच्चों के अंग और बच्चों को बेचना एक बड़ा संगीन अपराध है और ऐसा करते पाए जाने पर राज्य पुलिस, न्यायालय, स्वास्थ्य, शिक्षा महिला बाल विकास और अन्य विभागों के तालमेल से अपराधियों को कड़ी सजा दिलवाएगा - साथ ही इन विभागों के सहयोग से बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था करेगा.

1.55 गुमशुदा बच्चों और खरीद-फरोख्त के व्यापार में लिप्त बच्चे या यौन शोषण, यौन व्यापार में या नशीली वस्तुओं के कारोबार में लिप्त बच्चों के साथ राज्य विशेष सहानुभूति दिखाते हुए उन्हें उन काम - धंधों से मुक्त करवाएगा और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करेगा - साथ ही जिन लोगों ने उनका शोषण किया है राज्य उन्हें कड़ी सजा दिलवाएगा.

1.56 राज्य की कोशिश होगी कि सभी संभागीय मुख्यालयों पर बाल संरक्षण गृह, बाल आश्रम हो और और सभी संरक्षण गृहों को समय-समय पर सरकारी अनुदान मिलता रहे - ताकि ये बंद ना हो. जो बाल संरक्षण गृह बंद हो गए हैं - उन्हें पुनः आरंभ करके व्यवस्थित किया जाएगा ताकि अपराधों में या अन्य कार्यों में लिप्त बच्चों को वहां रखकर, उन्हें सुरक्षित जीवन देकर आने वाले भविष्य के लिए अच्छे नागरिक तैयार कर सकें.

1.57 किशोर न्यायालय अधिनियम के तहत हर जिले में एक बाल संरक्षण गृह एवं आश्रम का प्रावधान है. राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि आने वाले 5 वर्षों में प्रदेश के सभी 52 जिलों में बाल संरक्षण गृह एवं आश्रम खुल जाएं और वहां पर बच्चों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं हो - ताकि 18 से कम उम्र के बच्चे, जिन्हें न्यायालय द्वारा सजा दी गई है वहां रहकर अपनी सजा पूर्ण कर सके.

1.58 गुमशुदा बच्चे मध्यप्रदेश में एक बड़ी समस्या है. मध्यप्रदेश का बड़ा हिस्सा आदिवासी हिस्सा है और यह संभावना है कि यह गुमशुदा बच्चे, जिनमें लड़कियां ज्यादा हैं, उनकी अक्सर खरीद-फरोख्त होती है और बच्चे बेच दिए जाते हैं.

1.59 स्थानीय पुलिस, महिला बाल विकास विभाग तथा शिक्षा विभाग के सहयोग से राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चे गुमशुदा ना हो और हर बच्चे की सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी इन विभागों की हो.

1.60 जो बच्चे गुम हो चुके हैं, उनकी बरामदगी के लिए पुलिस और अन्य विभाग बड़े पैमाने पर अन्य राज्यों के साथ तालमेल करके बच्चों को वापस लेकर आएंगे.

1.61 बाल श्रम रोकने के लिए बने बाल श्रम निषेध एवं नियमन कानून 1986 का पालन कड़ाई से किया जाएगा. प्रदेश में बाल श्रम अनिवार्य रूप से बंद है परंतु फिर भी यह देखा जाता है कि कई जगहों पर नियोक्ता बच्चों को बाल श्रम में शामिल कर लेते हैं और न्यूनतम मजदूरी देकर उनका शोषण करते हैं.

1.62 मप्र के पश्चिम निमाड में कपास की खेती में छोटे बच्चों का मजदूरी के रूप में बहुत बडे स्तर पर शोषण किया जाता है. राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि खेती, उद्योगों, खदानों, होटलों और रेस्टोरेंट में कोई भी बच्चा बाल श्रम करते हुए ना पाया जाए. ऐसा करते पाए जाने पर नियोक्ता को कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा.

1.63 बाल विवाह एक सामाजिक अपराध है यह हम सब जानते हैं परंतु इसके बावजूद भी राज्य के कई हिस्सों में 18 वर्ष से कम बच्चों के विवाह हो जाते हैं. राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि महिला बाल विकास विभाग एवं पुलिस विभाग के तालमेल से प्रदेश में बाल विवाह ना हो.

1.64 इस संदर्भ में जागरूकता कार्यक्रम, कैंप और विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण देकर लोगों को जागरूक किया जाए - ताकि निरक्षर और दूरदराज के समाजों में बाल विवाह को एक कुरीति माना जा सके.

1.65 राज्य महिला बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग की टीम बनाकर बाल विवाह रोकने के प्रयास करेगा. अक्षय तृतीया और बड़ी ग्यारस के समय प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर बाल विवाह आयोजित किए जाते हैं. इन अवसरों पर राज्य बड़ी टीम बनाकर काम करेगा.

1.66 पिछले दशक से प्रदेश में एचआईवी एड्स के मरीज बढ़े हैं, फलस्वरूप कई

विवाहित महिलाएं भी एचआईवी एड्स ग्रस्त हुई है और बच्चों को जन्म दे रही है. ऐसे बच्चे जन्म से ही रिस्क पर आ जाते है. एचआईवी ग्रस्त बच्चों के लिए राज्य विशेष प्रावधान करके उन्हें एचआईवी एड्स से बचाने के प्रयास जन्म से करेगा.

1.67 दंगा पीड़ित, विस्थापन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं (जैसे सूखा, बाढ या भूकम्प आदि) से बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं. उनके लिए राज्य पुनर्वास की व्यवस्था करेगा. साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी बच्चों को संरक्षण, प्यार और सुविधाएं मिले सकें.

1.68 देह व्यापार में लिप्त महिलाओं के बच्चों के लिए भी राज्य एक नीति बनाकर उन बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा -ताकि ये बच्चे अपने आप को उपेक्षित महसूस ना करें और किसी भी प्रकार के देह व्यापार या अन्य अपराध में स्वयम संलग्न ना हो.

1.69 राज्य निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण के निर्देशानुसार राज्य से लेकर जिले और ब्लाक स्तर पर गठित निशुल्क विधिक सहायता प्रकोष्ठ की सहायता से विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा.

1.70 सभी उन संस्थाओं और बाल सुधार गृहों को बाल संरक्षण समिति के दायरे में लाया जाएगा जो बच्चों के हितों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुडे है. किशोर न्याय अधिनियम के तहत गठित समितियों में राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि सभी समितियों में शासकीय कर्मचारी कम किये जाए और स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से भागीदारी ली जायेगी.

1.71 सभी जिलों में नशा मुक्ति केन्द्रों की स्थापना की जायेगी.

1.72 सभी पुलिस थानों में बच्चों से मैत्री पूर्ण व्यवहार के लिए संवेदनशील स्टाफ की नियुक्ति की जायेगी.

1.73 जिलों के उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रजनन तंत्र एवं जेंडर केंद्र की स्थापना की जायेगी जो जिले के नियमित विद्यार्थियों और शाला त्यागी बच्चों के लिए सामग्री विकसित कर प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा – यह केंद्र एक स्रोत केंद्र की तरह काम करेगा ताकि बच्चे सीखकर अपराधों की ओर उन्मुख ना हो.

शिक्षा एवं विकास

शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के बावजूद प्रदेश के एक चौथाई बच्चे अभी भी औपचारिक शिक्षा से और शाला की परिधि से दूर है संविधान प्रदत्त अधिकार होने के बाद भी बच्चों का इस तरह से शिक्षा से दूर रहना दुखद है राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निशुल्क प्राथमिक शिक्षा 14 वर्ष की उम्र तक मिले चाहे वह किसी भी आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि के हो, भौगोलिक क्षेत्र के हो, भाषा या बोली के हो, बगैर लिंगभेद के या किसी भी समुदाय के - प्रत्येक बच्चे को यह अधिकार होगा कि वह स्कूल में आकर 14 वर्ष की उम्र तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का लाभ ले सके. राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि सभी बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो.

पूर्व प्राथमिक शिक्षा

1.74 पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु आंगनवाडी में विशेष प्रयास किये जायेंगे, आंगनवाडी महज पोषाहार वितरण का केंद्र ना बने और छोटे बच्चों को वहाँ सीखने समझने के पर्याप्त अवसर मिलें. खासकरके तीन से छः वर्ष तक के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी होगी.

1.75 राज्य की ओर से ये प्रावधान किये जायेंगे कि सभी आँगनवाडियो में जो समय निर्धारित है उस समय बच्चों को अक्षर ज्ञान, सामाजीकरण, खेलों और खिलौनों के माध्यम से ऐसी गतिविधियाँ करवाई जाएँ जो शाला पूर्व की तैयारी हो और जब बच्चे पांच वर्ष की उम्र पूर्ण करें तो वह प्राथमिक शाला में जाने योग्य हो न्यूनतम दक्षताओं और सीखें की तैयारी के साथ.

1.76 इस हेतु कार्यक्रताओं को विशेष प्रशिक्षण देकर तैयार किया जाएगा. खासकर के उन इलाकों में जहां आंगनवाडी कार्यकर्ता आठवीं पास हो उन्हें विशेष प्रशिक्षण देने की जरुरत होगी और शैक्षणिक सामग्री के इस्तेमाल को सीखाने की तैयारी करना होगी. प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में यह बडी आवश्यकता है क्योकि देखा यह गया है कि बच्चे प्राथमिक शालाओं में प्रवेश के समय रूचि से स्कूल आते हैं. परंतु, जैसे जैसे स्कूल के अकादमिक वातारवरण में ढलने लगते हैं तो अपने को कमतर पाते हैं और पाठ्यक्रम, परिवेश, पुस्तकों और परीक्षा आदि से जल्दी ही उब जाते हैं और स्कूल छोडने को तैयार हो जाते हैं.

1.77 पालकों का एक बडा वर्ग खास करके ग्रामीण इलाकों में स्कूलों से कोई जीवंत सम्पर्क नही रखता. इस वजह से बच्चों की उपलब्धि, उपस्थिति और अकादमिक गतिविधियों से पालक प्रायः दूर ही रहते हैं. बच्चे जल्दी ही शाला-त्यागी बच्चों की सूची में आ जाते हैं और पढाई छोड देते हैं.

1.78 राज्य शासन यह सुनिश्चित करेगा कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर ही बच्चों को 'सीखना मजेदार है' का पाठ पढाया जाए और वे खुशी-खुशी प्राथमिक शिक्षा के दायरे में प्रवेश लें. इस हेतु समुदाय का भी विशेष सहयोग लिया जाएगा- समुदाय, अभिभावक, पंचायतों, ग्राम सभाओं और महिला समूहों की भागीदारी से पूर्व-प्राथमिक शिक्षा पर ध्यानदे कर प्रारम्भ से ही बच्चों को स्कूल में सीखने का मजा (Joy of Learning) जैसा विचार बोया जाए तो वे सीखने-समझने के लिए तैयार होंगे. एक समन्वित पाठ्यक्रम से इस पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को क्रियान्वित किया जाएगा जिसमे पोषण, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वच्छता, खेल और शुरुवाती मूल कौशलों आदि का समावेश होगा.

1.79 मप्र राज्य में अधिकाँश आदिवासी इलाके हैं जो दूरदराज के हिस्सों में स्थित हैं. यह एक बडी चुनौती होगी कि कैसे इन क्षेत्रों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित की जाए और आधारभूत ढाँचे विकसित किये जाएं ताकि सभी बच्चों का नामांकन हो और नियमितता बनी रहें. राज्य पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं देखभाल की राष्ट्रीय नीति 2013 के सभी उपबन्धों को लागू करेगा.

प्राथमिक शिक्षा

1.80 प्राथमिक शिक्षा का मूल उद्देश्य बच्चों को जीवन के लिये तैयार करते हुए भाषा, गणित और विज्ञान के बुनियादी कौशल और दक्षताओं को सिखाना है ताकि वे अपने आने वाले जीवन में उच्च शिक्षा के प्रतिमान हासिल कर पायें और जीवन जीने की कला सीख पायें. प्राथमिक शिक्षा मज़े में हो और बच्चे सहभागिता से प्रत्येक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर अर्जित करें जो शिक्षा के मानकों में निर्धारित हैं. शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में सभी बच्चे जिनकी आयु छः से चौदह वर्ष

है, को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की बात इस कानून के माध्यम से की गई है. सामान्य रूप से सभी बच्चे पहली से आठवीं तक शिक्षा ग्रहण कर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी शिक्षा की ओर उन्मुख हों, इस हेतु विशेष प्रयास किये जायेंगे.

1.81 प्रदेश में 1,43,584 स्कूल हैं. 1,14,326 स्कूल सरकारी तथा 27,562 स्कूल गैर सरकारी हैं. मप्र में 1696 मदरसे संचालित हैं. वर्ष 2015—16 की तुलना में वर्ष 2016—17 में सरकारी स्कूलों की संख्या में 1067 की कमी आई है. सरकारी स्कूल में बच्चों का नामांकन कम हो रहा है और गैर सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ रहा है. राज्य शासन इस बात से अवगत है कि शासकीय स्कूलों की गुणवत्ता लगातार कम हो रही है और इस बात के लिए चिंतित भी है कि कैसे शासकीय स्कूलों को बचाया जाए ताकि गरीब, वंचित और आदिवासी बच्चों को महंगी शिक्षा ना लेना पडे. यह चिंता सिर्फ मप्र की नही बल्कि अन्य राज्यों की भी है और इसकी वजह से राज्य में शिक्षा के कानून और अधिकारों का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है.

1.82 कई स्तरों पर इस समस्या को देखकर राज्य शासन इस बात के लिए प्रतिबद्ध है और ग्यारंटी लेता है कि शिक्षा के अधिकार कानून में उल्लेखित सभी शर्तों, पैमानों और बिन्दुओं के बारे में निर्णय लेकर प्रदेश के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार लागू करवाने में प्रयास करेगा. इस हेतु पर्याप्त वित्त और राशि का प्रावधान करते हुए का भवन, आधारभुत ढाँचे, प्रबन्धन, शिक्षकों की भर्ती, प्रशिक्षण – सेवा पूर्व एवं सेवा के दौरान, रुचिकर पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें और सघन मूल्यांकन एवं अनुश्रवण की तकनीकें अपनाते हुए बच्चों को शामिल करके स्पष्ट नीति बनाएगा और अपने राज्य शिक्षा संस्थान, डाईट, शिक्षा विभाग, स्वैच्छिक संस्थानों और ग्राम पंचायतों के माध्यम से इस तरह से क्रियान्वित करेगा कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे.

1.83 इस हेतु पहली से दसवीं तक के विद्यालयों में पर्याप्त कक्षाएँ, खेल के मैदान, प्रयोगशालाएं, स्टाफ रूम्स, किचन शेड, पुस्तकालय आदि का निर्माण शिक्षा के अधिकार कानून के प्रावधानों के अनुरूप उन जगहों पर करेगा जहां अभी तक नहीं हो पाया है.

1.84 विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, छात्रवृत्ति, सायकिल, गणवेश, मध्यान्ह भोजन आदि के लिए अबाधित बजट उपलब्ध करवाएगा.

1.85 बच्चों की रूचि, क्षमताओं और कौशलों को ध्यान में रखते हुए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की सीमाओं में रहकर राज्य अपना पाठ्यक्रम स्थानीय बोलियों और भाषाओं में विकसित करेगा. आम तौर पर देखा गया है और शोध भी ये प्रमाणित

करते हैं कि प्राथमिक शिक्षा बच्चों को अपनी जुबान में दी जाना चाहिए. इसी के साथ हिंदी और अंग्रेजी भाषा भी सिखाने पर जोर रहेगा.

1.86 व्यापक स्तर पर शिक्षकों की भर्ती की जायेगी तथा शिक्षा के अधिकार कानून में दिए गए पैमानों के अनुरूप छात्र-शिक्षक का अनुपात सुनिश्चित किया जाएगा. शिक्षकों के सेवा-पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षणों पर विशेष ध्यान देने की राज्य ग्यारंटी देता है ताकि शिक्षक सही मायनों में स्कूलों में जाकर शिक्षा के निहितार्थ बच्चों को सिखा सकें और उनमे समाज और देश के प्रति निष्ठा और प्रेम जागृत कर सकें.

1.87 पाठ्यक्रम तैयार करते हुए मप्र के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों जैसे विन्ध्याचल, बघेलखंड, बुन्देलखण्ड, मालवा, निमाड, महाकौशल अदि का ध्यान में रखते हुए प्रदेश के विभिन्न प्रमुख आदिवासियों – भील, भिलाला, कोरकू, गौंड, मवासी, सहरिया, बेगा आदि की संस्कृति का ध्यान रखा जाएगा और पाठ्यक्रम इन बच्चों के लिए सरल और सम्प्रेष्णीय हो, इस बात को ध्यान रखा जाएगा.

1.88 प्रदेश का राज्य शिक्षा संस्थान इन समस्त कार्यों के लिए जवाबदेह होगा. साथ ही सतत् मूल्यांकन और अनुश्रवण के लिए प्रदेश के 52 जिलों में स्थित डाईट जिम्मेदार होंगे.

1.89 शिक्षा महाविद्यालय और प्रदेश स्थित विश्व विद्यालयों के शिक्षा विभाग शिक्षा के कानून और NCERT, NCTE के पैमानों के अनुरूप सेवा-पूर्व और सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षणों के लिए पूर्णतया जवाबदेह होंगे.

1.90 कोई भी बच्चा नामांकन से ना छूटे, इसकी जवाबदेही ग्राम पंचायत की होगी. साथ ही स्थानीय स्तर पर नियमित निगरानी भी पंचायत अधिनियम 1993, (73 वां संविधान संशोधन अधिनियम) के अनुरूप ग्राम सभा की जवाबदेही सुनिश्चित जायेगी. अनुभव यह दर्शाता है कि ग्राम पंचायतें निष्क्रिय हैं और उनका काम निर्माण और रोजगार की योजनाओं में ज्यादा है. पंचायती राज अधिनियम इस बात की तस्दीक करता है कि शिक्षा ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और यदि किसी ग्राम पंचायत में बच्चे शिक्षा से पिछडते हैं या ड्राप आउट ज्यादा होते हैं तो सम्बंधित पंचायत एवं शिक्षकों पर दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी.

1.91 इधर के वर्षों में विद्यार्थियों पर परीक्षा और परिणामों का मनोवैज्ञानिक दबाव बहुत बढा है और किशोरवय के बच्चों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढी है. राज्य शासन इस बात से अवगत है कि समाज और पालकों की बढ़ती महत्वकांक्षाओं ने बच्चों पर प्रतिस्पर्धा में आगे निकलकर अच्छी एवं उच्च संस्थाओं में प्रवेश पाने की होड लगा दी है और इसके लिए वे सतत् दबाव में रहकर पढ़ाई करते हैं.

1.92 राज्य इस बात को मद्देनजर रखते हुए प्रत्येक हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालय में शिक्षकों को निर्देशन एवं मार्गदर्शन का प्रशिक्षण देकर बच्चों के लिए काउंसलिंग का काम करेगा ताकि बच्चों को मनोवैज्ञानिक दबाव से दूर रखा जा सके और वे जीवन के मूल्य को समझें. साथ ही नियमित शिक्षक-पालक गोष्ठी, बच्चों के हित में व्यक्तित्व विकास की कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी ताकि वे शिक्षणेतर गतिविधियों में भागीदारी करके रचनात्मक सीखने की ओर उन्मुख हो सकें.

1.93 समुदाय की भागीदारी बढाने के लिए राज्य सार्थक प्रयास करेगा और शिक्षा के अधिकार कानून के बारे में जागरूकता, अपनी योजनाओं और विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के बारे में प्रचार प्रसार कर समुदाय एवं पालकों को हिस्सेदारी करने के लिए प्रेरित करेगा ताकि पालकों के संज्ञान में हर तरह की वो गतिविधि रहें जो उनके बच्चों से सम्बन्धित है.

1.94 बालिका शिक्षा को बढावा देने के लिए राज्य इन सभी योजनाओं के अतिरिक्त लडकियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान रखेगा और उनके लिए वे सभी प्रावधान किये जायेंगे जो आवश्यक हों. लडकियों को विशेष शिष्यवृत्ति देने का राज्य प्रावधान रखेगा और उनके लिए सुरक्षित एवं सहयोगी संस्थाओं, छात्रावासों की व्यवस्था करेगा, उनके कैरियर के लिए विशेष पाठ्य क्रम विकसित कर उन्हें रोजगार में अवसर देने के लिए राज्य कटिबद्ध है.

1.95 राज्य राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग के मानदंडों के अनुरूप हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में भी पर्याप्त व्यवस्थाएं करेगा ताकि सभी बच्चे आठवीं उत्तीर्ण करने के बाद हाई स्कूल में प्रवेश लें और बारहवीं पास कर उच्च शिक्षा की ओर उन्मुख हों.

1.96 शासन ग्यारहवीं और बारहवीं में अकादमिक पढाई के साथ उनके कौशल विकसित करने के लिए सहायक पाठ्यक्रम भी बनायेगा ताकि उन्हें रोजगारोन्मुखी शिक्षा भी मिल सके और बारहवीं करने के बाद यदि पारिवारिक या अन्य किन्ही आर्थिक कारणों से रोजगार करना चाहें तो कर सकें.

1.97 राज्य प्रत्येक तीन किलोमीटर पर हाई स्कूल और पांच किलोमीटर के रेडियस में हायर सेकेंडरी स्कूलों की स्थापना कर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करेगा और इस हेतु पर्याप्त मानव संसाधन, आधारभूत ढांचों और प्रबंधन में बदलाव लाकर माकूल व्यवस्थाएं करेगा. उच्च श्रेणी शिक्षकों और व्याख्याताओं की नियुक्ति सभी संस्थाओं में करके राज्य गुणवत्तापूर्ण सेकेंडरी शिक्षा देने के लिए संकल्पित है.

बच्चों की भागीदारी

1.98 राज्य सुनिश्चित करेगा कि सभी स्तरों पर सभी कार्यक्रमों में बच्चों की भागीदारी निश्चित और सार्थक हो. इस तरह का खुला और स्वतंत्र माहौल बनाया जाए कि बच्चे वहां आकर अपनी बात कह सकें और स्वतंत्र रूप से अपनी बात अभिव्यक्त कर सके.

1.99 सिविल सोसाइटी संस्थाओं के साथ मिलकर राज्य यह प्रयास करेगा कि बच्चों की भागीदारी हर तरह के कार्यक्रमों योजनाओं के बनाने, निर्णयन और क्रियान्वयन में हो - ताकि बच्चों के हितों के अनुरूप योजनाओं का निर्माण किया जा सके.

1.100 सिविल सोसाइटी संस्थाओं के माध्यम से परिवारों, समुदाय और अन्य व्यवस्थाओं में यह कोशिश की जाएगी कि एक प्रभावी तंत्र बनाया जाए और इसी प्रक्रियाएं बनें जहां बच्चे अपनी बात कहें, सुने और हर स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करें. उनकी आवाज को महत्व देते हुए राज्य यह ग्यारंटी देता है कि हर तरह की योजना में बच्चों के हितों को और अधिकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर योजना में उनके सुझावों को शामिल किया जाएगा.

1.101 परिवार में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जो राज्य द्वारा प्रायोजित होंगे. इसमें बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपने दृष्टिकोण का विकास एवं निर्माण करें, जागरूकता फैलाएं - ताकि बच्चे अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो सके.

1.102 लड़कियों की आवाज को बुलंद करने और भागीदारी बढाने के लिए विशेष प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे - ताकि महिलाओं, लड़कियों की भागीदारी

समाज के सभी स्तरों पर हो सके और किसी भी प्रकार का लिंग भेद समाज में न हो.

1.103 परिवारों के साथ समुदाय के साथ हर स्तर पर लगातार संवाद करके राज्य यह प्रयास करेगा कि बच्चों के हितों, अधिकारों और उनके संरक्षण की बात परिवार और शासन के विभिन्न अंगों तक पहुंचाई जाए -ताकि हर स्तर पर बच्चे अपने आप को स्वतंत्र महसूस करें और एक खुले और निष्पक्ष वातावरण में अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें.

1.104 उन्हें जीवन कौशल शिक्षा देकर राज्य समाज में सौहार्द्र, भाईचारा और एकता स्थापित करने का प्रयास करेगा और इस हेतु अपने स्तर पर सभी प्रकार के प्रावधान करेगा.

1.105 ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा में बच्चों की आवाज सुनने के लिए राज्य में सुनिश्चित करेगा कि वर्ष में आयोजित की जाने वाली चारों ग्राम सभाओं एवं विशेष ग्राम सभाओं में शुरुआत में या अंत में - जैसी परिस्थिति हो - बच्चों के साथ ग्राम सभा और पंचायत के सभी पदाधिकारी एक से डेढ़ घंटे तक बातचीत करके उनकी समस्याएं सुनेंगे और निदान करेंगे या करने के प्रयास करेंगे.

बाल समिति और बाल नीति का क्रियान्वयन

इस बाल कार्य योजना के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए विभिन्न स्तरों पर निम्नानुसार समितियां बनाई जायेंगीः

1. राज्य स्तर पर एक समिति बनाई जाएगी जिसमें महिला बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सूचना प्रकाशन विभाग, उद्योग विभाग, कृषि विभाग, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, मानव अधिकार आयोग, बाल अधिकार आयोग और गृह / पुलिस प्रशासन से लोग होंगे जो इस नीति को अंतिम रूप देंगे. साथ ही इसके क्रियान्वयन और लागू करने के लिए नियम कायदे बनाएंगे. इस समिति की यह जिम्मेदारी होगी कि बाल नीति सही अर्थों में व्यवहारिक, बच्चों के हित में तथा बच्चों के लिए हो. नीति के हर शब्द का और हर उपबंध का प्रयोग एवं पालन कौन - कैसे करेगा - इसके बारे में स्पष्ट नीति निर्देश बनाए जाएंगे. साथ ही इसके क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार विभाग को जवाबदारी देकर जवाबदेह बनाया जाएगा. प्रत्येक 2 माह में इस समिति की बैठक होगी जो पूरे प्रदेश के बाल मुद्दों को लेकर यह समिति के समक्ष उठाए गए मुद्दों को लेकर चर्चा करके बच्चों के हित में निर्णय लेगी. प्रत्येक जिले में किशोर न्यायालय अधिनियम और बाल कल्याण समिति के सदस्यों के साथ इस समिति की साल में दो बार बैठक होगी - जिसमें जिलों की समस्याएं और

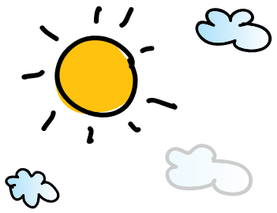

जिलों के मुद्दों को लेकर बातचीत होगी. साथ ही जिलों के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी बातचीत और विस्तृत चर्चा होगी. यह समिति सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक राज्य शासन के प्रत्येक विभाग की कार्य योजना में बच्चों के हितों को सर्वोपरि मानकर पर्याप्त बजट आवंटन किया जाए और उसका अंतरण भी संबंधित विभाग को समय-समय पर होता रहे. बजट के या वित्त के अभाव में बच्चों से संबंधित कोई भी योजना या कानून रुकना नहीं चाहिए - यह भी देखना इस समिति का महत्वपूर्ण कार्य होगा. इस समिति के अध्यक्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री या महिला बाल विकास या शिक्षा विभाग के माननीय केबिनेट मंत्री हो सकते हैं.

यह समिति संभागीय एवं जिला स्तर के प्रतिनिधियों, बाल कल्याण समितियों और किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों के प्रशिक्षण का कार्य भी करेगी साथ ही संविधानिक भाषा और स्थानीय बोलियों सम्बन्धित सामग्री, पोस्टर, पैम्फलेट्स, बोर्शर्स आदि बनाने का दायित्व निभाएगी.

2. संभाग स्तर पर संभागायुक्त की अध्यक्षता में संभागीय समिति का निर्माण किया जाएगा जिसमे संभाग स्तर के उपरोक्त विभागों के साथ वर्णित प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. इस समिति में संभाग के जिलों के समितियों के प्रमुख भी रहेंगे जिनकी बैठक प्रति तीन माह में होगी और राज्य समिति के कार्य कलापों के अनुसार संभाग स्तर पर कार्य करेगी.

3. जिला स्तर पर जिलाधीश की अध्यक्षता में जिला स्तर पर समिति गठित की जायेगी और यह समिति राज्य एवं संभागीय स्तर की समितियों की तरह से वे सभी कार्य करेगी जो इसे समय समय पर सौंपे जायेंगे.

4. ब्लाक स्तर पर समिति का गठन एसडीएम की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा और यह समिति वो सभी कार्य करेगी जो इसे राज्य एवं संभागीय स्तर से समय समय पर सौंपे जायेंगे.

“चाइल्ड राइट्स एण्ड यू”

VIKAS SAMVAD